इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2025–पौष 5, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, शुभांगी शाक्य पति मनीष कुमार, निवासी– 46, शुभम परिसर, रतलाम (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में एकांश सिंह एवं जन्म प्रमाण–पत्र में अदविक कुमार अंकित है. मेरे पुत्र को उक्त दोनों नामों से जाना जाता है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को अदविक कुमार पिता मनीष कुमार (ADAVICK KUMAR S/o. MANISH KUMAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका
(शुभांगी शाक्य)
पति– मनीष कुमार.

(G-7575)

नाम परिवर्तन

मैं, संतोष रानी पति स्वामी दीन पिता सुरियाँ, जाति अहिरवार, निवासी–25, रेल नगर, रतलाम (म.प्र.). मैंने एक भूखण्ड ग्राम राजगढ़, तह. व जिला रतलाम (म.प्र.) में क्रय कर मकान निर्मित किया था, जिसमें तत्समय प्रार्थीया ने पति का नाम स्वामी दीन निराला जाति अहिरवार लिखवाया था. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में प्रार्थीया के पति को स्वामी दीन पिता सुरियाँ जाति अहिरवार के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका
(संतोषरानी)
पति– स्वामी दीन, पिता–सुरियाँ
जाति अहिरवार.

(G-7576)

नाम परिवर्तन

मैं, राजुबाई पति राघुलाल सेन, जाति नाई, निवासी– मकान नं. 106, ग्राम पिपलिया, सिसोदिया, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.). मेरा नाम कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में गुड्डीबाई पति राघुलाल सेन, राजूबाई पति राघुलाल एवं श्रीमती राजु बाई सेन अंकित है. मुझे तीनों नामों से जाना–पहचाना जाता है एवं तीनों नाम मेरे स्वयं के है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे राजु बाई पति राघुलाल सेन, जाति नाई के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका
(राजु बाई)
पति– राघुलाल सेन, जाति नाई.

(G-7577)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेसर्स श्री महावीर फैब्रिकेटर्स फर्म एवं संस्थाए विभाग इंदौर संभाग में पंजीकृत फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक 03–27–01–0223–15, दिनांक 10–11–2015 है. यहकि, दिनांक 21.02.2022 को फर्म के भागीदार श्री प्रदीप श्रीवास पिता श्री स्वर्गीय रामचरण श्रीवास की मृत्यु होने से फर्म के पार्टनर नहीं रहे हैं एवं दिनांक 03.11.2025 को श्रीमती नीलम श्रीवास पति श्री प्रदीप श्रीवास, निवासी– 57, सार्थक रेजीडेंसी, लिम्बोदी, इंदौर (म.प्र.) ने स्वेछा से फर्म से भागीदार के रूप में इस्तीफा दिया है जिससे कि वह इस फर्म की भागीदार नहीं रही हैं व इसी दिनांक से श्री घनश्याम श्रीवास पिता श्री रामचरण श्रीवास, निवासी– मकान नंबर sm–36, वार्ड नंबर 49, किशोर नगर, खंडवा (मध्य प्रदेश) एवं श्री यशवर्धन श्रीवास पिता श्री प्रदीप श्रीवास, निवासी– वार्ड 06, मंडला सिग्नल, नैनपुर, जिला मंडला (म.प्र.) ने फर्म में भागीदार के रूप में शामिल हुए हैं. साथ ही इसी दिनांक से फर्म कार्यालय को मकान नंबर 058, सुपरसिटी महूगाँव, महू जिला इंदौर (म.प्र.) पर परिवर्तित किया गया है.

मेसर्स श्री महावीर फैब्रिकेटर्स
राधेश्याम श्रीवास
(भागीदार).

(G-7578)

नाम परिवर्तन

मैं, मोईन अख्तर पिता इकबाल खान, निवासी– सेक्टर–3, अरिहन्त परिसर, रतलाम (म.प्र.). मेरा नाम कक्षा 10वीं की अंकसूची, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड में मोईन अख्तर पिता इकबाल खान एवं कक्षा 12वीं एवं विश्वविद्यालय की अंकसूचियों में मोईन अख्तर खान पिता इकबाल खान दर्ज है. मुझे उक्त दोनों नामों से जाना–पहचाना जाता है एवं दोनों नाम स्वयं के हैं. मेरे ही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मोईन अख्तर पिता इकबाल खान (MOIN AKHTAR S/o. IQBAL KHAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मोईन अख्तर खान)

नया नाम
(मोईन अख्तर)
(MOIN AKHTAR)
पिता– इकबाल खान
(S/o. IQBAL KHAN).

(G-7579)

नाम परिवर्तन

मैं, रघुवीर पाटीदार पिता हीरा लाल पाटीदार, निवासी– मकान नं. 284, पाटीदार मौहल्ला, पानी की टंकी के पास, ग्राम कुआंझागर, तह. व जिला रतलाम (म.प्र.) मेरा नाम कुछ शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में रघुलाल पिता हीरालाल दर्ज है. मुझे उक्त दोनों नामों से जाना–पहचाना जाता है एवं दोनों नाम मेरे स्वयं के ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे रघुवीर पाटीदार पिता हीरा लाल पाटीदार के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रघुलाल)	**(रघुवीर पाटीदार)**
पिता– हीरालाल	पिता– हीरालाल पाटीदार.

(G-7580)

PUBLIC NOTICE

Public Notice is hereby given that the partnership firm M/s Jai Kalyan Herbals and Exports, Indore is registered under the Indian Partnership Act, 1932 at Registration No.0049 dt. 07/08/2020 with Office of Registrar, Firms and Society, Indore (M.P.). That Partners Mr. Pratap Pawar S/o Shri Vasant Rao Pawar, R/o 11, White Church Colony, Residency Area, Indore (M.P.) and M/s Vatsalya Minerals & Power Pvt. Ltd., Indore Through its Director Mr. Vikalp S/o Shri Rajendra Nayak R/o CH-286, Scheme No.74-C, Behind Kasturi Sabhagrah, Vijay Nagar, Indore (M.P.) had joined the firm as partner from 01/07/2022 and Mr. Santosh Jain S/o. Shri Khemchand Jain R/o Flat No.403, Girnar Tower, 2/5 New Palasia, Indore (M.P.) has given voluntary retirement from partnership firm the firm with effect from 01/07/2022. Further With effect from 31st March, 2024 M/s Vatsalya Minerals & Power Pvt. Ltd., Indore Through its Director Mr. Vikalp S/o Shri Rajendra Nayak R/o CH-286, Scheme No.74-C, Behind Kasturi Sabhagrah, Vijay Nagar, Indore (M.P.) has given voluntary retirement from partnership firm. The notice issued under the compliance of Indian Partnership Act, 1932.

M/s Jai Kalyan Herbals and Exports

प्रताप पवार

(Partner).

(G-7581)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश मुनिया पिता धीरजी मुनिया, निवासी– ग्राम धुमडिया, नरेला, जिला झाबुआ (म.प्र.). मेरी 10वीं की अंकसूची में माता का नाम कालीबाई एवं पिता का नाम धीरा मुनिया दर्ज है. मेरी माता का सही नाम काली मुनिया एवं पिता का सही नाम धीरजी मुनिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(राजेश मुनिया)

पिता– धीरजी मुनिया.

(G-7582)

नाम परिवर्तन

मैं, शाहिदा पति मोहम्मद अनवर हनीफ, निवासी–हसन अली की चाल, डॉट की पुल, रतलाम (म.प्र.). मेरा नाम कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में सईदन बी पति मोहम्मद हनीफ दर्ज है एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम शाहिदा पति मोहम्मद अनवर हनीफ दर्ज है. मुझे उक्त दोनों नामों से जाना–पहचाना जाता है एवं दोनों नाम मेरे स्वयं के है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे शाहिदा पति मोहम्मद अनवर हनीफ (SHAHIDA W/o. MOHAMAD ANWAR HUNNIF) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(शाहिदा)

(SHAHIDA)

पति– मोहम्मद अनवर हनीफ

(G-7583) (W/o. MOHAMAD ANWAR HUNNIF).

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म SHREE NARMADA INFOTECH Office – 865/C, Plot No C, IT Park Purwa, Bargi Hills Jabalpur (M.P.)-482008 Reg. 04–14–01–0241–17 Date 12.01.2017 (सन् 2017–2018) द्वारा दिनांक 25.07.2025 को Ms. Anjali Tomar D/o. Shri M P Singh, R/o. H.No. B-29, Nishat Park, Dwarka, Sec-15, New Delhi –110078 एवं Mr. Anirudh Goel S/o. Shri Shyam Sunder Goel R/o. 406, Sector–37, Amarnagar, Faridabad, Haryana 121003 भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया एवं दिनांक 25.07.2025 को ही Mr Ankush Koshta S/o. Shri Ramesh Kumar Koshta R/o. A-3, Samdariya Residency, Shatabdi Puram, MR–4 Road, Ukhri Chowk, Jabalpur (M.P.)–482002 एवं Mr. Sachin Balnath Chinchale S/o. Shri B R Chinchale, Renuka Plot No–45, Siddhivinayak Township Ayodhya Nagari Amrutdham Panchavati Nashik (M.H.)–422003 भागीदारी फर्म से पृथक हुए. दिनांक 13.08.2025 को Ms. Shraddha Rajpal D/o. Shri Shushil Kumar Dubey, R/o. H No- 198, Ratan Nagar, Gupteshwar Mandir Road, Gulab Singh Ward, Jabalpur (M.P.)-482001, एवं Ms. Nalini Rajpal R/o. H.No. 198 Ratan Nagar, Gupteshwar Mandir Road, Gulab Singh Ward, Jabalpur (M.P.)-482001, भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया.

SHREE NARMADA INFOTECH

Ms. Anjali Tomar

(Partner)

Office – 865/C, Plot No C, IT Park Purwa,

Bargi Hills Jabalpur (M.P.)- 482008.

(G-7584)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम विजय सिंह चौहान (Vijay Singh Chouhan) था. जिसे परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे विजय चौहान (Vijay Chouhan) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(विजय चौहान)
(Vijay Chouhan)
निवासी– 2/2, परदेशीपुरा, इन्दौर (म.प्र.).

(G-7585)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम ममता (MAMTA) था. जिसे परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे वैशाली आहूजा (Vaishali Ahuja) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी
(वैशाली आहूजा)
(Vaishali Ahuja)
निवासी– 60 फीट रोड, बी एन 18,
चौरसिया सेक्टर, सुदामा नगर,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-7586)

नाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम रुबिना परवीन पिता मुश्ताक बेग (Rubina Parveen D/o. Mushtak Beg) था. विवाह पश्चात् मेरा नाम परिवर्तित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा नाम फरहत खान पति अब्दुल कलीम (Farhat khan W/o. Abdul Kalim) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रुबिना परवीन)	**(फरहत खान)**
पिता– मुश्ताक बेग	पति– अब्दुल कलीम
	पता– 374 आई, धार रोड, ग्राम बांक,
	ग्रीन पार्क, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-7587)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम रितिक राठौर पिता श्री संजय राठौर (Ritik Rathore S/o. Sanjay Rathore), निवासी– 1485/11, नन्दा नगर, इन्दौर (म.प्र.). मैंने अपना नाम परिवर्तित कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा नाम निर्भय सिंह राठौर पिता श्री संजय राठौर (Nirbhay Singh Rathore S/o. Sanjay Rathore) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रितिक राठौर)	**(निर्भय सिंह राठौर)**
(Ritik Rathore)	(Nirbhay Singh Rathore).

(G-7588)

CHANGE OF NAME

It is to bring kind Notice to the people that my Daughter previous name Gurroop Kaur Grover D/o. Harminder Singh Grover has been changed to Gurroop Grover D/o. Harminder Singh Grover Therefore, in future my Daughter will be known by the her new name only.

Applicant
(Harminder Singh Grover)
Add.- Orange County, 153,
Adrarsh Gram, C Block 202, Near Six,
Bunglow, Main Road, Triveni Nagar,
Distt. Indore (M.P.).

(G-7589)

CHANGE OF NAME

I, PRIYANKA SHARAMA W/o. SHRIKANT SHARMA here by Declare That I, have changed My name as PADMAWATI SHARAMA W/o. SHRIKANT SHARMA so, from now and in future I, will be known by my new name PADMAWATI SHARAMA W/o. SHRIKANT SHARMA.

Old Name
(PRIYANKA SHARAMA)

New Name
(PADMAWATI SHARAMA)
W/o. SHRIKANT SHARMA
Add- 44, Dhiraj Nagar, Behaind Velocity Cinema,
Distt. Indore (M.P.).

(G-7590)

CHANGE OF NAME

I, NEETU D/o. RAJKUMAR MIRCHANDANI here by declare That I, have changed My name as MANSI PURSWANI W/o. SANJAY PURASWANI so, from now and in future I, will be known by my new name MANSI PURSWANI W/o. SANJAY PURASWANI.

Old Name
(NEETU)
(D/o. RAJKUMAR MIRCHANDANI)

New Name
(MANSI PURSWANI)
W/o. SANJAY PURASWANI
Add- 1339-B, Near Mahrshi Vidhya Mandir,
Naipiyar Town, Jabalpur (M.P.).

(G-7591)

CHANGE OF SURNAME

I, Kasturchand Bhamoriya S/o. Premchand Bhamoriya (Old Name) here by Declare that I, have changed My Name as Kasturchand Prajapat S/o. Premchand Prajapat (New Name) so, from now and in future I, will be known by my new name Kasturchand Prajapat S/o. Premchand Prajapat (New Name).

Old Name
(Kasturchand Bhamoriya)
(S/o. Premchand Bhamoriya)

New Name
(Kasturchand Prajapat)
S/o. Premchand Prajapat
Add.- 309-E, Raj Nagar, Indore (M.P.).

(G-7592)

CHANGE OF NAME

I, Anant Prabhakar Kher S/o. Prabhakar Kher here by declare that I, have changed My Name as Anand Kher S/o. Prabhakar Kher so, from now and in future I, will be known by my new name Anand Kher S/o. Prabhakar Kher.

Old Name
(Anant Prabhakar Kher)

New Name
(Anand Kher)
S/o. Prabhakar Kher
Add.- 16, Shani Gali, Juni Indore,
Near Shani Mandir, Indore (M.P.).

(G-7593)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम माधवी रावत (MADHAVI RAWAT) है, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र आदि में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम माधुरी रावत (MADHURI RAWAT) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम माधुरी रावत (MADHURI RAWAT) के स्थान पर माधवी रावत (MADHAVI RAWAT) दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे माधवी रावत (MADHAVI RAWAT) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(माधुरी रावत)
(MADHURI RAWAT)

नया नाम
(माधवी रावत)
(MADHAVI RAWAT)
पुत्री– अरविन्द रावत
निवासी– वार्ड 28, चांदपुर, डबरा,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-7594)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम आशीष सिंह (ASHISH SINGH) है. मेरे आधार कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है. जबकि मेरे प्रोपर्टी रजिस्ट्री दस्तावेज, वोटर कार्ड आदि में मेरा नाम मोनू राजावत (MONU RAJAWAT) दर्ज है. मोनू राजावत (MONU RAJAWAT) और आशीष सिंह (ASHISH SINGH) मेरे स्वयं के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे प्रोपर्टी रजिस्ट्री दस्तावेज एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम मोनू राजावत (MONU RAJAWAT) के स्थान पर आशीष सिंह (ASHISH SINGH) दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे आशीष सिंह (ASHISH SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(मोनू राजावत)
(MONU RAJAWAT)

नया नाम
(आशीष सिंह)
(ASHISH SINGH)
पुत्र– बच्चू सिंह राजावत
निवासी– सिकन्दर कम्पू, लश्कर,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-7595)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम राज बहादुर सिंह भदौरिया (RAJ BAHADUR SINGH BHADOURIA) है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है. जबकि मेरे पेंशन पेमेंट ऑर्डर में मेरे नाम की स्पेलिंग त्रुटिवश RAJ BAHADUR SINGH BHADWARIA दर्ज हो गई है. दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होकर मेरे ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पेंशन पेमेंट ऑर्डर एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरे नाम की सही स्पेलिंग RAJ BAHADUR SINGH BHADOURIA दर्ज की जावे व भविष्य में मुझे राज बहादुर सिंह भदौरिया (RAJ BAHADUR SINGH BHADOURIA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(RAJ BAHADUR SINGH BHADWARIA)

नया नाम
(RAJ BAHADUR SINGH BHADOURIA)
S/o. JULAHAL SINGH BHADOURIA
R/o. 13, VAYU NAGAR, GWALIOR (M.P.).

(G-7596)

नाम परिवर्तन

मुझ आवेदक के पुत्र का सही नाम सुमित जोशी (SUMIT JOSHI) है यही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों आदि में दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम सुमिह जोशी (SUMIH JOSHI) दर्ज हो गया है. सुमित जोशी (SUMIT JOSHI) और सुमिह जोशी (SUMIH JOSHI) दोनों नाम मेरे एक ही पुत्र के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम सुमिह जोशी (SUMIH JOSHI) के स्थान पर सुमित जोशी (SUMIT JOSHI) दर्ज किया जावे एवं भविष्य में उसे सुमित जोशी (SUMIT JOSHI) पुत्र राजकुमार जोशी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक
(राजकुमार जोशी)
पुत्र– श्री लक्ष्मी नारायण जोशी
निवासी– रामविलास वाली गली, इस्लामपुरा,
जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-7597)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम शांति देवी (SHANTI DEVI) है, जो कि मेरे पैन कार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम शनि देवी (SHANI DEVI) दर्ज हो गया है. शांति देवी (SHANTI DEVI) और शनि देवी (SHANI DEVI) दोनों नाम मुझ एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम शनि देवी (SHANI DEVI) के स्थान पर शांति देवी (SHANTI DEVI) दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे शांति देवी (SHANTI DEVI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(शनि देवी)
(SHANI DEVI)

नया नाम
(शांति देवी)
(SHANTI DEVI)
पत्नी– कमल सिंह
निवासी– डी–11, विनय नगर सेक्टर 4,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-7598)

नाम परिवर्तन

मैं, पावन ओगरा (PAAWAN OGRA) मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम पावन पुरस्वानी (PAAWAN PURSWANI) दर्ज हो गया है. मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम पावन ओगरा (PAAWAN OGRA) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मुझे पावन ओगरा (PAAWAN OGRA) के नाम से जाना–पहचाना एंव लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(पावन पुरस्वानी)
(PAAWAN PURSWANI)

नया नाम
(पावन ओगरा)
(PAAWAN OGRA)
निवासी– 622, ट्यूवलीप न्यू मिनाल,
रेसीडेंसी, जे.के.रोड, भोपाल (म.प्र.).

(G-7599)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम DEEPALI SHRIVASTAVA है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे सर्विस रिकार्ड में त्रुटिवश मेरे नाम की स्पेलिंग DEEPALI SRIVASTAV दर्ज हो गई है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सर्विस रिकार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरे नाम की सही स्पेलिंग DEEPALI SHRIVASTAVA दर्ज की जावे व भविष्य में मुझे दीपाली श्रीवास्तव (DEEPALI SHRIVASTAVA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(DEEPALI SRIVASTAV)

नया नाम
(DEEPALI SHRIVASTAVA)
W/o. OMESH CHANDRA SHRIVASTAVA
R/o. FLAT NO. 406, JAI APARTMENT,
BIRLA HOUSE MAHAVEER COLONY,
MORAR,. GWALIOR (M.P.).

(G-7600)

नाम परिवर्तन

मैं, घुड़ीबाई गढ़ेकर मेरे आधार कार्ड में गलती से मेरा नाम धुरी गढ़ेकर (DHURI GADEKAR) गलत अंकित हो गया है. मेरे परिचय–पत्र, बैंक पासबुक में घुड़ीबाई (GHUDIBAI) सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम घुड़ीबाई गढ़ेकर (GHUDIBAI GADEKAR) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(धुरी गढ़ेकर)
(DHURI GADEKAR)

नया नाम
(घुड़ीबाई गढ़ेकर)
(GHUDIBAI GADEKAR)
पता– ग्राम परमंडल, तह. मुलताई,
जिला बैतूल (म.प्र.).

(G-7601)

नाम परिवर्तन

मैं, रविन्द्र कुमार पंडाग्रे मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम पुनिष पंडागरे (PUNISH PANDAGRE) त्रुटिवश गलत दर्ज हो गया है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में उसका सही नाम पुनीत पंडाग्रे (PUNIT PANDAGRE) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजो में पुनीत पंडाग्रे (PUNIT PANDAGRE) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(पुनिष पंडागरे)
(PUNISH PANDAGRE)

नया नाम
(पुनीत पंडाग्रे)
(PUNIT PANDAGRE)
पिता– रविन्द्र कुमार पांडग्रे
पता– 177, शारदा नगर, गुरू साहब वार्ड,
मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.).

(G-7602)

CHANGE OF NAME

MY OLD NAME ABDUL QADIR SAIFY I HAVE CHANGED MY NAME MY NEW NAME IS QADIR SAIFY S/O SAIFUDDIN SAIFY. I WILL BE KNOWN BY MY NEW NAME QADIR SAIFY.

Old Name
(ABDUL QADIR SAIFY)

New Name
(QADIR SAIFY)
Add- C-61, HOUSING BOARD COLONY, KOHEFIZA, BHOPAL (M.P.).

(G-7603)

जाहिर सूचना

मेसर्स रुद्र देव सुरा (पंजीकृत कार्यालयः भोपाल, पंजीकरण क्रमांक 01–06–01–0517–23) एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म 'मेसर्स रुद्र देव सुरा', जो फर्म एवं सोसायटी कार्यालय, भोपाल में दिनांक 17 मार्च 2023 को पंजीकृत है, के साझेदारी विलेख में दिनांक 01–11–2025 को परिवर्तन किया गया है. इस परिवर्तन के तहत, निम्नलिखित साझेदारों ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से सेवानिवृत्ति ले ली है. देवाशीष सोनी, यश मालवीय, रीतेश मालवीय, राजन सिसोदिया, विजेंद्र सिंह परिहार उक्त दिनांक के बाद से, सेवानिवृत्त साझेदारों का फर्म के किसी भी कार्य, लेन–देन या देनदारियों से कोई संबंध नहीं है. साथ ही, दिनांक 01–11–2025 से निम्नलिखित नए साझेदारों ने फर्म में प्रवेश लिया है. अनिल कुमार खवसे, संजय कुमार सोनी, अमन आर्य, आशुतोष खवसे आज दिनांक 01–11–2025 से फर्म के वर्तमान साझेदार निम्नवत रहेंगेः संदीप कुमार सोनी, अनिल कुमार खवसे, संजय कुमार सोनी आशुतोष खवसे, रोहित दलथोबिया, अमित कुमार गोहर, दिव्यांशु मिश्रा, राघवेंद्र प्रसाद द्विवेदी, अमन आर्य.

मेसर्स रुद्र देव सुरा
संदीप कुमार सोनी
(साझेदार).

(G-7604)

जाहिर सूचना

यह सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री बालाजी सुरेश नगर, जो कि फर्म एवं सोसायटी कार्यालय, भोपाल में पंजीकरण क्रमांक 01–06–01–0267–21 के तहत दिनांक 11 नवम्बर 2021 को पंजीकृत एक फर्म है, के साझेदारों में भागीदारी विलेख दिनांक 01–11–2025 को परिवर्तन हुआ है जिसमें निम्न साझेदार अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए हैं – भूपेश सतीजा, राजन सिसोदिया, जयप्रकाश सोनी, रीतेश मालवीय उपरोक्त साझेदारों के सेवानिवृत्त के उपरांत अब उनका फर्म के कार्यभार या देनदारियों से कोई संबंध नहीं है.

वर्तमान /शेष साझेदार

दिनांक 01–11–2025 से फर्म में निम्नलिखित साझेदार बने रहेंगेः

संदीप कुमार सोनी, अनिल कुमार खवसे, रेखा सोनी, मंजू खवसे, रामकुमार मालवीय, बबली राठौर

मेसर्स श्री बालाजी सुरेश नगर
संदीप कुमार सोनी
(भागीदार).

(G-7605)

नाम परिवर्तन

मैं, कमलेश्वर सिंह पिता हुबब लाल सिंह, ग्राम माटा, पोस्ट गजरी, जिला सीधी (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम शालिनी सिंह पिता कमलेश्वर सिंह (SHALINI SINGH D/o. KAMLESHWAR SINGH) हैं. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश शालनी सिंह पिता कमलेश्वर सिंह (SHALNI SINGH D/o. KAMLESHWAR SINGH) दर्ज हो गया हैं जो कि गलत है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में मेरी पुत्री का सही नाम शालिनी सिंह पिता कमलेश्वर सिंह (SHALINI SINGH D/o. KAMLESHWAR SINGH) दर्ज है. शालिनी सिंह पिता कमलेश्वर सिंह (SHALINI SINGH D/o. KAMLESHWAR SINGH) व शालनी सिंह पिता कमलेश्वर सिंह (SHALNI SINGH D/o. KAMLESHWAR SINGH) दोनों नाम मेरी पुत्री के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को शालिनी सिंह पिता कमलेश्वर सिंह (SHALINI SINGH D/O KAMLESHWAR SINGH) के नाम से जाना, पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(कमलेश्वर सिंह)

(G-7606)

नाम परिवर्तन

मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण–पत्र में दर्श पाटोदी (DARSH PATODI) पिता रितुल पाटोदी अंकित है व आधार कार्ड में मेरा नाम दर्शन पाटोदी (DARSHN PATODI) पिता रितुल पाटोदी अंकित है, उक्त दोनों नाम मेरे ही है, भविष्य में मुझे केवल दर्श पाटोदी (DARSH PATODI) पिता रितुल पाटोदी के नाम से ही जाना जावे एवं समस्त शासकिय व अशासकीय अभिलेखो में भी दर्श पाटोदी (DARSH PATODI) पिता रितुल पाटोदी दर्ज किया जावें.

पुराना नाम
(दर्शन पाटोदी)
(DARSHN PATODI)

नया नाम
(दर्श पाटोदी)
(DARSH PATODI)
पिता– रितुल पाटोदी.

(G-7607)

नाम परिवर्तन

मैं, अनुष्का पाठक पुत्री रमेश श्री रमेश कुमार पाठक, निवासी– ग्राम सुपेला, पोस्ट जियावन, थाना–जियावन, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली (म.प्र.) मेरे आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम अनुष्का पाठक पिता श्री रमेश कुमार पाठक लिखा है, जबकि पोस्ट ऑफिस बैंक शाखा जियावन, देवसर आर.डी. खाता में मेरा नाम कुमकुम पाठक पिता रमेश कुमार पाठक लिखा है. उपरोक्त खाता में नाम एवं आधार कार्ड में नाम मेरे स्वयं के हैं. मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड के अनुसार बैंक पासबुक में भी दर्ज कर दिया जाये, जो सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त अनुष्का पाठक पिता रमेश कुमार पाठक के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम
(कुमकुम पाठक)
(KUMKUM PATHAK)

नया नाम
(अनुष्का पाठक)
(ANUSHKA PATHAK)
पिता– रमेश कुमार पाठक
D/o. RAMESH KUMAR PATHAK.

(G-7608)

नाम परिवर्तन

मैं, रजनीश शुक्ला (RAJNISH SHUKLA) पुत्र श्री मुन्द्रिका प्रसाद शुक्ला, 02/267, ज़े.पी. रोड, हनुमान मंदिर के पास, सुमेदा, जिला रीवा (म.प्र.). मेरे बैंक खाते में एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम RAJNEESH SHUKLA दर्ज है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम RAJNISH SHUKLA है. अतः प्रकाशन उपरान्त सभी दस्तावेजों एवं बैंक खातें में मेरा नाम RAJNISH SHUKLA दर्ज किया जाये एवं लिखा– पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(RAJNEESH SHUKLA)	**(RAJNISH SHUKLA)**

(G-7609)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम नंदनी कुशवाह (NANDNI KUSHWAH) पिता फ़ते सिंह है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम नीतिका (NITIKA) पिता फ़ते सिंह दर्ज हो गया है जो कि गलत है. मेरी पुत्री का नाम नंदनी कुशवाह (NANDNI KUSHWAH) पिता फ़ते सिंह है जो उसके जन्म प्रमाण व शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों मैं नये नाम नंदनी कुशवाह (NANDNI KUSHWAH) पिता फ़ते सिंह से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(फ़ते सिंह)

पता– म.नं. 50, वार्ड नं.04, ग्राम चन्दपुरा,
पोस्ट दिगवड़, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-7610)

नाम परिवर्तन

मैं, रजनीश द्विवेदी (RAJNISH DWIVEDI) आत्मज श्री मोहनलाल द्विवेदी (MOHANLAL DWIVEDI), निवासी– सतना, जिला सतना (म.प्र.). मेरा नाम रजनीश प्रसाद दुबे (RAJANISH PRASAD DUBE) था. जिसे बदलकर मैंने अपना नाम रजनीश द्विवेदी (RAJNISH DWIVEDI) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे नये नाम रजनीश द्विवेदी (RAJNISH DWIVEDI) जाना जावे एवं समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों मे लिखा–पढा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(RAJANISH PRASAD DUBE)	**(RAJNISH DWIVEDI)**

(G-7611)

नाम परिवर्तन

मैं, विनीता दोगने पत्नी राजेश, निवासी– ग्राम आलमपुर, तहसील रहटगांव, जिला हरदा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम विनीता (VINITA) C/o. राजेश, दर्ज हो गया है, जबकि मेरे वोटर कार्ड में मेरा नाम विनीता दोगने (VINITA DOGNE) पत्नी राजेश दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय / व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम विनीता दोगने (VINITA DOGNE) पत्नी राजेश के नाम से जाना– पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(विनीता)	**(विनीता दोगने)**
(VINITA)	**(VINITA DOGNE)**
C/o. राजेश	पत्नी– राजेश.

(G-7612)

नाम परिवर्तन

मैं, शैलेश कुमार सिंह पुत्र गंगा सिंह, निवासी– म.नं. 136 डी–सेक्टर सुभाष कालोनी, अशोका गार्डन, गोविंदपुरा, भोपाल (म.प्र.). पूर्व में मेरा नाम शैलेश सिंह (Shailesh Singh) था. वर्तमान में अब मेरा नाम शैलेश कुमार सिंह (Shailesh Kumar Singh) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम शैलेश कुमार सिंह (Shailesh Kumar Singh) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शैलेश सिंह)	**(शैलेश कुमार सिंह)**
(Shailesh Singh)	**(Shailesh Kumar Singh)**

(G-7613)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के शिक्षा रिकॉर्ड में मेरा नाम श्री राजीव निराटकर है, जो सही नही है. मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम श्री राजेन्द्र कुमार निराटकर अंकित है, जो सही है. मेरी पुत्री के शिक्षा रिकॉर्ड में मेरा नाम राजीव निराटकर अंकित है. जो त्रुटिपूर्ण है. मेरी पुत्री के शिक्षा रिकॉर्ड में मेरा सही नाम श्री राजेन्द्र कुमार निराटकर अंकित किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त यही नाम लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राजीव निराटकर)	**(राजेन्द्र कुमार निराटकर)**

(G-7614)

नाम परिवर्तन

मैं, गोपाल पिल्ले (GOPAL PILLAY) पुत्र स्व. श्री मुर्गेश पिल्ले, निवासी– 1878, लाला लाजपत नगर, डिफेन्स कॉलोनी, सुभाष चन्द्र बेनर्जी वार्ड नं. 65, जबलपुर (म.प्र.). मेरा सही नाम गोपाल पिल्ले (GOPAL PILLAY) है, जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में अंकित है परन्तु त्रुटिवश मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम गोपाल पिल्ले (GOPAL PILLEY) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम गोपाल पिल्ले (GOPAL PILLEY) के स्थान पर गोपाल पिल्ले (GOPAL PILLAY) दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गोपाल पिल्ले)	**(गोपाल पिल्ले)**
(GOPAL PILLEY)	**(GOPAL PILLAY)**

(G-7615)

नाम परिवर्तन

मैं, नीरज परमार (neeraj parmar) पिता दिनेश के कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश शिवम (shivam) दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम नीरज परमार है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में नीरज परमार के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आदेवक
(दिनेश)
आत्मज– श्री रतन सिंह
निवासी– ग्राम हिम्मतगढ़, रंगवास, तहसील देपालपुर,
जिला इंदौर (म.प्र.).

(G-7616)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सलोनी (SALONI) अंकित हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम सुहानी (SUHANI) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरी पुत्री का सही नाम सुहानी (SUHANI) लिखा व पढ़ा जावे.

आदेवक

(सुनिल चौहान)

निवासी– 526, कोली मोहल्ला, बांक ,

(G-7617) जिला इंदौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम वीर सिंह राजपूत (VEER SINGH RAJPUT) पिता साहब सिंह राजपूत, निवासी– विलेज कुंडा, बेगमगंज, कुंडा, पोस्ट कुंडा, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आर्मी के सर्विस रिकार्ड मे वीर सिंह (VEER SINGH) नाम दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, भारतीय स्टेट बैंक के खाते में मेरा पूरा नाम वीर सिंह राजपूत (VEER SINGH RAJPUT) है, मेरा उपनाम राजपूत (RAJPUT) है. वीर सिंह एवं वीर सिंह राजपूत दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा सही नाम वीर सिंह राजपूत (VEER SINGH RAJPUT) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(वीर सिंह)	**(वीर सिंह राजपूत)**
(VEER SINGH)	**(VEER SINGH RAJPUT)**

(G-7618)

नाम परिवर्तन

विवाह के पूर्व मेरा नाम मरयम बोहरा (MARYAM BOHRA) था. विवाह के पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तन कर मरयम पीठावाला पति बुरहानुद्दीन पीठावाला (MARYAM PITHAWALA W/o. BURHANUDDIN PITHAWALA) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नया नाम मरयम पीठावाला पति बुरहानुद्दीन पीठावाला (MARYAM PITHAWALA W/o. BURHANUDDIN PITHAWALA) लिखा व पढ़ा जावेगा.

पुराना नाम	नया नाम
(मरयम बोहरा)	**(मरयम पीठावाला)**
	पति– बुरहानुद्दीन पीठावाला,
	पता– 8, बोहरा बाखल, राजबाडा के पास,

(G-7619) धार, (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, रामबाबु कुशवाह पुत्र श्री प्यारेलाल, निवासी– ग्राम नलखेडा, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम रामबाबु कुशवाह (RAMBABU KUSHWAH) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम तेज सिंह (TEJ SINGH) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे रामबाबु कुशवाह (RAMBABU KUSHWAH) के नाम से जाना –पहचाना जावे एवं सभी शासकीय/अद्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(तेज सिंह)	**(रामबाबु कुशवाह)**
(TEJ SINGH)	**(RAMBABU KUSHWAH)**

(G-7620)

नाम परिवर्तन

मैं, ताराबाई बाल्मीकि पत्नी श्री परूषोत्तम बाल्मीकि, निवासी–रामनगरी वार्ड क्र. 05, ग्राम रेहलीखास, रेहली, जिला सागर (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम ताराबाई बाल्मीकि (Tarabai Balmiki) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश ताराबाई मेहतर (Tarabai Mehtar) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे वास्तविक नाम ताराबाई बाल्मीकि (Tarabai Balmiki) से जाना–पहचाना जावे एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(ताराबाई बाल्मीकि)

(Tarabai Balmiki)

पत्नी– श्री परूषोत्तम बाल्मीकि,

(G-7621)

नाम परिवर्तन

मैं, आजाद सिंह पुत्र श्री मांगीलाल, निवासी– ग्राम बजार, गांव बरखेडा, हसन अहमदपुर, सीहोर (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम आजाद सिंह (AJAD SINGH) है. आधार कार्ड में त्रुटिश मेरा नाम आकाश (AAKASH) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा वास्तविक नाम आजाद सिंह (AJAD SINGH) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आकाश)	**(आजाद सिंह)**
(AAKASH)	**(AJAD SINGH)**

(G-7622)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा विवाह दीपक सिंह के साथ हुआ था, जिससे मुझे एक पुत्र प्रयन सिंह हुआ है, जिनसे मेरा विधिवत् विवाह विच्छेद न्यायालय द्वारा हो चुका है. मेरा पुनः विवाह विपुल जैन के साथ हुआ है. अतः मैं एवं मेरा पुत्र विपुल जैन का उपनाम अपना रहे हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को प्रयन जैन (Prayan Jain) के नाम से ही जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रयन सिंह)	**(प्रयन जैन)**
(PRAYAN SINGH)	**(PRAYAN JAIN)**
	संरक्षक= माता–पिता सोनल जैन एवं विपुल जैन,
	पता– 467, सिल्वर स्टार सिटी, निहालपुर,
	मुंडी, राजेन्द्र नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-7623)

नाम परिवर्तन

पहले मेरे पुत्र को यश के नाम से जाना जाता था. मैंने मेरे पुत्र का नाम बदलकर यंश चौधरी पिता महेन्द्र चौधरी कर दिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को यंश चौधरी पिता महेन्द्र चौधरी के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(महैन्द्र चौधरी)

पिता– प्रेमनारायण,

पता– कम्पेल, इन्दौर (म.प्र.).

(G-7624)

नाम परिवर्तन

पहले मेरे पुत्र का नाम टिकल था. मैंने मेरे पुत्र का नाम बदलकर तिलक राठौर पिता रामचरण राठौर कर दिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को तिलक राठौर पिता रामचरण राठौर के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(रामचरण राठौर)

पता– बेटमा खुर्द, पोस्ट बेटमा, जिला इंदौर (म.प्र.).

(G-7625)

नाम परिवर्तन

पहले मेरी पुत्री का नाम दीया यादव था. मैंने मेरी पुत्री का नाम बदलकर दृष्टि यादव पिता गिरधारीलाल यादव कर दिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को दृष्टि यादव पिता गिरधारीलाल यादव के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(गिरधारीलाल यादव)

पता– समाज कल्याण परिसर, बच्चों की जेल के पास,
परदेशीपुरा, जिला इंदौर (म.प्र.).

(G-7626)

नाम परिवर्तन

पहले मेरी पुत्री का नाम प्राची गांगाले था. मैंने मेरी पुत्री का नाम बदलकर राखी गांगले पिता संतोष गांगले कर दिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को राखी गांगले पिता संतोष गांगले के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(संतोष गांगले)

पिता– मांगीलाल

पता– 127, ग्राम बेवाडी, पोस्ट राजपुर,
जिला बड़वानी (म.प्र.).

(G-7627)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम प्रतीक्षा चौहान (Pratiksha Chouhan) है, जो उसके ज्यादातर सभी दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु आधार कार्ड सहित उसके कुछ अन्य दस्तावेजों में उसका नाम प्रतीज्ञा चौहान (Pratigya Chouhan) लिखा गया है, जो कि गलत नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रतीक्षा चौहान (Pratiksha Chouhan) से ही लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राजेश चौहान)

पता– 10, तेजाजी नगर, पालदा, इन्दौर (म.प्र.).

(G-7628)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम सुशीला पाल पति रामकिशोर पाल (Sushila Pal W/o. Ram kishore Pal) है, जो कि मेरे ज्यादातर दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ दस्तावेज में मेरा नाम सुशीला (Sushila) दर्ज हो गया है. जबकि मेरा सही नाम सुशीला पाल पति रामकिशोर पाल (Sushila Pal W/o. Ram kishore Pal) है.

पुराना नाम	नया नाम
(सुशीला)	**(सुशीला पाल)**
(Sushila)	**(Sushila Pal)**
	पति– रामकिशोर पाल
	W/o. Ram kishore Pal
	पता– 154, एल.आई.जी. कालोनी, पंडित दिनदयालपूरम, धार (म.प्र.).

(G-7629)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सपना मेंडे पिता गोमा मेंडे (SAPNA MENDHE D/o. GOMA MENDHE), निवासी– सिल्लारी, सिवनी, तहसील कुरई, जिला सिवनी (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सपना जावरे पत्नी राजकुमार जावरे अंकित हो गया हैं. जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम सपना मेंडे पिता गोमा मेंडे (SAPNA MENDHE D/o. GOMA MENDHE) के नाम से जाना, पहचाना, लिखा–पढ़ा व शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावें.

पुराना नाम	नया नाम
(सपना जावरे)	**(सपना मेंडे)**
(SAPNA JAWREY)	**(SAPNA MENDHE)**
पत्नी– राजकुमार जावरे	पिता– गोमा मेंडे
W/o. RAJKUMAR JAWREY)	D/o. GOMA MENDHE)

(G-7630)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम राम पुरूषोत्तम कस्तुरे पुत्र पुरुषोत्तम कस्तुरे, निवासी– 296, बिहाइंड इंडियन बैंक, रोहित नगर, फेस–2, ई–8; बाबडियाकला, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम राम भाऊ पुत्र श्री पुरूषोत्तम कस्तुरे (RAM BHAU S/o. PURSHOTTAM KASTURE) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे आधार कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम राम पुरूषोत्तम कस्तुरे पुत्र श्री पुरूषोत्तम कस्तुरे (RAM PURSHOTTAM KASTURE S/o. PURSHOTTAM KASTURE) के नाम से जाना– पहचाना, लिखा–पढा व शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावें.

पुराना नाम	नया नाम
(राम भाऊ)	**(राम पुरूषोत्तम कस्तुरे)**
(RAM BHAU)	**(RAM PURSHOTTAM KASTURE)**
	पुत्र– पुरूषोत्तम कस्तुरे
	S/o. PURSHOTTAM KASTURE.

(G-7631)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम सुमित मेवाडा पिता देव सिंह मेवाडा (SUMIT MEWADA S/o. DEV SINGH MEWADA), निवासी– पोस्ट बेरछा डाटर, बमुलिया मुछल्ली, शाजापुर, (म.प्र.). परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम लक्ष्मी मेवाडा पिता देवी सिंह माधो सिंह (LAXMI MEWADA S/o. DEVI SINGH MADHO SINGH) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम सुमित मेवाडा पिता देव सिंह मेवाडा (SUMIT MEWADA S/o. DEV SINGH MEWADA) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढा, व दर्ज किया जावे.

आवेदक
(देव सिंह मेवाडा)
पिता– माधो सिंह.

(G-7632)

नाम परिवर्तन

मैं, राम राज पुत्र श्री निर्भय सिंह, निवासी– विशनपार, वृधी, वगरोद, ग्यारसपुर, गंजबासोदा, जिला विदिशा, (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम इशिका कुर्मी (ISHIKA KURMI) उसके स्कूली दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है. तथा आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम रिशिका कुर्मी (RISHIKA KURMI) त्रुटिवश गलत अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम इशिका कुर्मी (ISHIKA KURMI) पिता श्री रामराज के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढा, व दर्ज किया जावे.

आवेदक
(रामराज).

(G-7633)

नाम परिवर्तन

मैं, धन बाई पत्नी श्री रामकिशन, निवासी– म.न. 139, ग्राम गुर्रा इटारसी, नर्मदापुरम् (म.प्र.). मेरा सही नाम धन बाई (Dhan Bai) है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम धनबन्ती पटेल (Dhanbanti Patel) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे धन बाई (Dhan Bai) के नाम से जानी–पहचानी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(धनबन्ती)	**(धन बाई)**
(Dhanbanti Patel)	**(Dhan Bai).**

(G-7634)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अज़रा इख्तेयार पत्नी इख्तेयार अली (AZRA IKHTEYAR W/o. IKHTEYAR ALI), निवासी– 37, जिन्सी रोड, जहांगीराबाद, वार्ड 42, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम यासमीन उर्फ अज़रा इख्तेयार पति इख्तेयार अली (YASMEEN URF AZRA IKHTEYAR W/o. IKHTEYAR ALI) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है मेरा सही नाम मेरे स्थायी निवास प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम अज़रा इख्तेयार पत्नी इख्तेयार अली (AZRA IKHTEYAR W/o. IKHTEYAR ALI) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी
(अज़रा इख्तेयार)
पत्नी– इख्तेयार अली.

(G-7635)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सोयब खान पुत्र श्री सलीम खान (SOYAB KHAN S/o. SALIM KHAN) है. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम खान सोयब पुत्र सलीम दर्ज हो गया है. यह दोनों नाम मेरे ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम सोयब खान पुत्र श्री सलीम खान (SOYAB KHAN S/o. SALIM KHAN) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(खान सोयब)	**(सोयब खान)** पुत्र– श्री सलीम खान.

(G-7636)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम जावेद खान पुत्र श्री सलीम खान (JAVED KHAN S/o. SALIM KHAN) है. परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम खान जावेद पुत्र सलीम दर्ज हो गया है. यह दोनों नाम मेरे ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम जावेद खान पुत्र श्री सलीम खान (JAVED KHAN S/o. SALIM KHAN) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(खान जावेद) पुत्र श्री सलीम खान	**(जावेद खान)** पुत्र– श्री सलीम खान.

(G-7637)

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, भागीदार, मेसर्स त्रिवेणी इन्फ्रास्ट्रक्चरर्स अपनी स्वेच्छा से फर्म से दिनांक 15 सितम्बर 2025 को सेवामुक्त (रिटायर) हो रहे हैं. फर्म द्वारा नई भागीदारी डीड का पुनर्गठन (Reconstitution) कर दिनांक 15 सितम्बर 2025 से श्री ऐश्वर्य कुमार अग्रवाल, पिता श्री संजय अग्रवाल, निवासी– हाउस नंबर 15, नैनागिरी गृह निर्माण समिति मर्यादित, भोपाल (म.प्र.), 462023, को फर्म का नया भागीदार बनाया जा रहा है.

अतः उपरोक्त तिथि से भागीदारी फर्म मेसर्स त्रिवेणी इन्फ्रास्ट्रक्चरर्स में श्रीमती आशा देवी अग्रवाल एवं श्री ऐश्वर्य कुमार अग्रवाल भागीदार के रूप में जाने जाएंगे.

मेसर्स त्रिवेणी इन्फ्रास्ट्रक्चरर्स
1. आशा देवी अग्रवाल
2. ऐश्वर्य कुमार अग्रवाल
(भागीदार).

(G-7638)

नाम परिवर्तन

मैं, कैलाश सोलंकी पिता मायटा सोलंकी, निवासी– ग्राम दाबडी तहसील पाटी, जिला बड़वानी (म.प्र.). मेरी 10वी, 12 वीं अंकसूची, बी.ई. की अंकसूची, पैनकॉर्ड, एवं सर्विस रिकॉर्ड में मेरे पिता जी का नाम भायटा सोलंकी (Bhayata Solanki) दर्ज है. जो कि गलत है, जबकि मेरे पिता जी का सही नाम मेरी 08वी की अंकसूची, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में मायटा सोलंकी (Mayata Solanki) है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी दस्तावेजों में मेरे पिता जी का सही नाम मायटा सोलंकी (Mayata Solanki) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(भायटा सोलंकी) **(Bhayata Solanki)**	**(मायटा सोलंकी)** **(Mayata Solanki).**

(G-7639)

नाम परिवर्तन

मैं, गोपाल (GOPAL) पिता श्री कनछेदी, निवासी– ग्राम बगरोदा, परसोरा जिला विदिशा (म.प्र.). पूर्व में मेरा नाम निरंजन सिंह (NIRANJAN SINGH) पिता कन्छेदी (KANCHEDI) के नाम से जाना जाता था. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे गोपाल (GOPAL) पिता श्री कन्छेदी के नाम से ही जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(निरंजन सिंह)	(गोपाल)
(NIRANJAN SINGH)	**(GOPAL)**
(G-7640)	पिता– श्री कन्छेदी

CHANGE OF SURNAME

I, ASHOK KUMAR JUNEJA, residing at- E-7/691 A, Arera Colony, Huzur R.S. Nagar, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh . Hereby declare that I have changed my previous name from ASHOK KUMAR to ASHOK KUMAR JUNEJA. Henceforth, my identity will be recognized as ASHOK KUMAR JUNEJA in all my documents, including my share certificates.

Old Name	New Name
(ASHOK KUMAR)	**(ASHOK KUMAR JUNEJA).**

(G-7641)

CHANGE OF SURNAME

I, MEENA JUNEJA, W/o. ASHOK KUMAR JUNEJA, residing at- E-7/691 A, Arera Colony, Huzur R.S. Nagar, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh-462016, hereby declare that I have changed my previous name from MEENA DEVI to MEENA JUNEJA. Henceforth, my identity will be recognized as MEENA JUNEJA in all my documents, including my share certificates.

Old Name	New Name
(MEENA DEVI)	**(MEENA JUNEJA).**

(G-7642)

नाम परिवर्तन

मैं, लाखन सिंह आत्मज बैजनाथ, पता– ग्राम आमल्या सिन्धोरा, बैरसिया, भोपाल (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मुन्ना सिंह आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण सिंह (MUNNA SINGH S/o. LAXMINARAYAN SINGH) लिखा गया है, जबकि मेरा सही नाम लाखन सिंह आत्मज बैजनाथ (LAKHAN SINGH S/o. BEJNATH) है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरा सही नाम लाखन सिंह आत्मज बैजनाथ (LAKHAN SINGH S/o. BEJNATH) के नाम से जाना– पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मुन्ना सिंह)	(लाखन सिंह)
(MUNNA SINGH)	**(LAKHSN SINGH)**
आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण सिंह	आत्मज– बैजनाथ
S/o. LAXMINARAYAN SINGH	S/o. BEJNATH.
(G-7643)	

उपनाम परिवर्तन

मेरा सही नाम व उपनाम जुबेदा खानम (Zubada khanum) है. परन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम व उपनाम जुबेदा खातून (Zubeda khatoon) लिखा हुआ है. जो कि गलत है. अतः प्रकाशन के उपरान्त भविष्य में मेरे सस्मत शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम जुबेदा खानम (Zubada khanum) लिखा– पढा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(जुबेदा खातून)
(Zubeda khatoon)

नया नाम

(जुबेदा खानम)
(Zubada khanum)

पता– ई.एच. 11 दीन दयाल नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-7644)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम देवांश त्यागी (Daivansh Tyagi) है. परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम दिव्यांश त्यागी (Daivansh Tyagi) लिखा हुआ है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सस्मत शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में उसका सही नाम देवांश त्यागी (Daivansh Tyagi) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(दिव्यांश त्यागी)
(Daivansh Tyagi)

नया नाम

(देवांश त्यागी)
(Daivansh Tyagi)

पता– नारायण विहार कॉलोनी, गोले का मंदिर,
गिर्द ग्वालियर रेसीडेसी, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-7645)

उपनाम परिवर्तन

मैं, युसूफ खान पुत्र श्री अनवर खान, निवासी– 50, 02 अहाता सिकंदर, फरहत अफ़ज़ा हुजूर भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के दस्तावेजों में उसका नाम समर (Samar) दर्ज है, जबकि त्रुटिवश उसका सरनेम खान दर्ज नहीं हो पाया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शैक्षणिक/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में सही नाम समर खान (Samar Khan) पुत्र युसूफ खान (Yusuf Khan) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(युसूफ खान).

(G-7646)

नाम परिवर्तन

मैं, पन्ना लाल धुर्वे पिता श्री बीसराम धुर्वे, निवासी– ग्राम अडोरी, वार्ड नं. 06, तह. बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में गलत नाम दाकेशवरी धुर्वे पिता पन्ना लाल धुर्वे दर्ज है लेकिन अन्य सभी दस्तावेजों में उसका सही नाम राकेश्वरी धुर्वे है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय व्यक्तिगत एवं शासकीय दस्तावेजों में सही नाम राकेश्वरी धुर्वे पिता पन्ना लाल धुर्वे के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-7647) **(पन्ना लाल धुर्वे).**

नाम परिवर्तन

मैं, परदेशी धुर्वे पिता बिसम्बरसिंह धुर्वे, निवासी–ग्राम अडोरी, तह. बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.). मेरी पुत्री के दस्तावेजों में उसका सही नाम माही धुर्वे पिता परदेशी धुर्वे दर्ज है. परन्तु उसके आधार कार्ड में गलत नाम रीमा धुर्वे दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय व्यक्तिगत एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम माही धुर्वे पिता परदेशी धुर्वे के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-7648) **(परदेशी धुर्वे).**

नाम परिवर्तन

मैं, धूपसिंह मेरावी पिता श्री पूरन सिंह मेरावी, निवासी– ग्राम अडोरी, तह. बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में उसका गलत नाम राजन मेरावी पिता धूपसिंह मेरावी दर्ज हो गया है. जिसे बदल कर सही नाम किरन मेरावी करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय व्यक्तिगत एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम किरन मेरावी पिता धूपसिंह मेरावी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-7649) **(धूपसिंह मेरावी).**

नाम परिवर्तन

मैं, दुकलू मेरावी पिता श्री फौलू सिंह मेरावी, निवासी– ग्राम अडोरी, तह. बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.). मेरी पुत्री के दस्तावेजों में उसका सही नाम सीमा मेरावी पिता दुकलू मेरावी दर्ज है. परन्तु आधार कार्ड में गलत नाम गणेशिया मेरावी दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम सीमा मेरावी पिता दुकलू मेरावी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-7650) **(दुकलू मेरावी).**

नाम परिवर्तन

मैं, प्रभा शुक्ला पत्नी श्री राजमणी शुक्ला, निवासी– 93, भोलगढ म.नं. 1 से 173, ग्राम भोलगढ, रीवा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश घरेलू नाम प्रभा शुक्ला दर्ज है, जो कि गलत है. मेरा नाम श्रीमती प्रभावती शुक्ला (PRABHAWATI SHUKLA) पत्नी श्री राजमणी शुक्ला है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे श्रीमती प्रभावती शुक्ला (PRABHAWATI SHUKLA) पत्नी श्री राजमणी शुक्ला के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(प्रभा शुक्ला)

नया नाम
(प्रभावती शुक्ला)
पत्नी– श्री राजमणी शुक्ला.

(G-7651)

नाम परिवर्तन

मैं, हिम्मत सिंह पुत्र श्री राजाराम, निवासी– म.नं. ग्राम रामाखेड़ी, पोस्ट, डाबला आष्टा जिला सीहोर म.प्र. (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम कुमकुम मेवाडा (KUMKUM MEWADA) हैं, जो कि सही है, एवं मेरी पुत्री का नाम आधार कार्ड में त्रुटीवश नाम सरिता बाई (SARITA BAI) दर्ज हो गया हैं जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम कुमकुम मेवाडा (KUMKUM MEWADA) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(हिम्मत सिंह)
पुत्र– श्री राजाराम.

(G-7652)

नाम परिवर्तन

मैं, दीपिका मीना पुत्री श्री राकेश कुमार मीना, निवासी– म.नं. 48, ग्राम धामनिया, पोस्ट फंदा कलां, भोपाल (म.प्र.). मेरा सही नाम दीपिका मीना (DEEPIKA MEENA) हैं, जो कि सही है, एवं मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटीवश दीपू (DEEPU) दर्ज हो गया हैं जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम दीपिका मीना (DEEPIKA MEENA) से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(दीपू)	**(दीपिका मीना)**
(DEEPU)	**(DEEPIKA MEENA)**
	पुत्री– श्री राकेश कुमार मीना.

(G-7653)

नाम परिवर्तन

मैं, बलवंत सिंह गौर आत्मज स्व. नारायण सिंह गौर, निवासी– वार्ड न. 18, रामनगर, बेगमगंज, रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम समीक्षा गौर (Samiksha Gour) है, मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम शमीशा गोर (Shamisha gour) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम समीक्षा गौर (Samiksha Gour) के नाम से जाना–पहचाना व शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आदेवक

(बलवंत सिंह गौर)

आत्मज– स्व. नारायण सिंह गौर.

(G-7654)

नाम परिवर्तन

मैं, रुपेश सिंह पिता श्री हीरालाल, निवासी– सुन्दरपुरा, पोस्ट पालडीखाती, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम सन्नी तंवर है जो कि सभी दस्तावेजों में दर्ज है, आधार कार्ड में त्रुटीवश मेरे पुत्र का नाम विवेक दर्ज हो गया है जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत अब मेरे पुत्र को उसके सही नाम सन्नी तंवर के नाम से जाना व पहचाना जावेगा व सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में उसका यहीं नाम रहेगा.

आदेवक

(रूपेश सिंह)

पिता– श्री हीरालाल

(G-7655)

CHANGE OF NAME

I, Jassu bhai W/o. Shobhnath verma alias somnath, aged adult, Resident of N.H. 07 gram nagva post mangava sirmaur Rewa mangawa (M.P.). do hereby declare that my name mentioned in my husband's service records as jassu bhai which is my nickname and in uid (adhar) and other documents written as jasu devi verma so from now and in future I will be known as jassu bhai.

Old Name	New Name
(JASU DEVI VERMA)	**(JASSU BHAI)**

(G-7656)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद आजम अन्सारी पिता मोहम्मद इकराम अन्सारी, निवासी– 32, 36, दुर्गा नगर, झुग्गी कोलार कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र मोहम्मद सनाउल्लाह अन्सारी के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम MOHD. SANAULLAH ANSARI अंकित हो गया है. जबकि उसका सही नाम MOHAMMAD SANAULLAH ANSARI है. जो कि उसके जन्म प्रमाण– पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम MOHAMMAD SANAULLAH ANSARI के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(MOHAMMAD AZAM ANSARI).

(G-7657)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम विशाखा है जो कि मेरी अंकसूची, बैंक का खाता आदि दस्तावेजों में दर्ज है. आधार कार्ड में मेरा घरू नाम राधिका तिवारी दर्ज है. राधिका तिवारी और विशाखा मुझ एक ही महिला के नाम है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम राधिका तिवारी (RADHIKA TIWARI) के स्थान पर मेरा सही नाम विशाखा (VISHAKHA) से जाना– पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राधिका तिवारी)	**(विशाखा)**
(RADHIKA TIWARI)	**(VISHAKHA)**
	पिता– मनोज तिवारी
	निवासी– रघुनाथ सिंह का बड़ा, घासमंडी टेम्पल, किलागेट, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-7658)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम मंगाराम है जो कि मेरे खसरा और आदि दस्तावेजो में दर्ज है. आधार कार्ड में में मेरा घरू नाम गंगाराम दर्ज है. गंगाराम और मंगाराम नाम मुझ एक ही व्यक्ति के नाम है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम गंगाराम (GANGARAM) के स्थान पर मेरा सही नाम मंगाराम (MANGARAM) जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गंगाराम)	**(मंगाराम)**
(GANGARAM)	**(MANGARAM)**
	निवासी– ग्राम मडरौली, तहसील गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.).

(G-7659)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सरोज धोलपुरिया पति नीरज धोलपुरिया, निवासी– म.न. 13 गली न. 2, छोला रोड, एकता नगर फूटा मकबरा, तहसील हुजुर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरी 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम SAROJ CHANDALIYA D/o. RAJU CHANDALIYA, तथा 12वीं की अंकसूची में सरोज चंडालिये पिता राजु चंडालिये लिखा हुआ है. नीरज धोलपुरिया से विवाह उपरांत मेरा वास्तविक सही नाम सरोज धोलपुरिया (SAROJ DHOLPURIYA) पति नीरज धोलपुरिया

(NEERAJ DHOLPURIYA) है, जो कि मेरे आधार कार्ड व वोटर आई.डी. कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सरोज धोलपुरिया (SAROJ DHOLPURIYA) पति नीरज धोलपुरिया (NEERAJ DHOLPURIYA) के नाम से जाना–पहचान, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सरोज चंडालिये)	**(सरोज धोलपुरिया)**
(SAROJ CHANDALIYA)	**(SAROJ DHOLPURIYA)**
पिता– राजु चंडालिये	पति– नीरज धोलपुरिया,
	(NEERAJ DHOLPURIYA).

(G-7660)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/S. COSMO RETAIL AND SERVICES जो A-11, COSMO ANANDA, NEAR RADHA GAS GODAM SIROL ROAD, GWALIOR (M.P.) में स्थित है. जिसका पंजीयन क्र. 02–42–01–0311–21 एवं दिनांक 21 दिसम्बर 2021 है जिसमें दिनांक 18 जून 2025 को भागीदार श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल, निवासी– 4, गीता कॉलोनी, हॉस्पिटल रोड, ग्वालियर (म.प्र.) एवं भागीदार श्री जयदीप अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश अग्रवाल, निवासी– 100, राम कृपा नया बाजार लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से प्रथक हो गये एवं इसी दिनांक 18 जून 2025 को श्री रोहन भोजवानी पुत्र श्री मुकेश भोजवानी, निवासी– 233, विजया नगर एक्स्टेंशन, चेतकपुरी, ग्वालियर (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप सम्मिलित हो गये हैं एवं इसी दिनांक 18 जून 2025 को फर्म का मुख्य कार्यालय ए–11 कोस्मो अनन्दा, राधा गैस गोदाम के पास सिरोल रोड, ग्वालियर, (म.प्र.) से परिवर्तित कर नवीन कार्यालय 233 विजया नगर एक्स्टेंशन, चेतकपुरी, ग्वालियर (म.प्र.) हो गया है.

M/S. COSMO RETAIL AND SERVICES,

मुकेश भोजवानी
(भागीदार)
Add:- A-11, COSMO ANANDA, NEAR RADHA GAS GODAM,
SIROL ROAD, GWALIOR (M.P.).

(G-7661)

आम सूचना

सर्वसाधारण का सूचित किया जाता है हमारी फर्म में महाकाल ट्रेडर्स (M/S MAHAKAAL TRADERS) के नाम से एक भागीदारी फर्म है. जिसका पंजीयन क्र. 04–17–06–0027–20, दिनांक 17 जून 2020 है.

इस फर्म से दिनांक 04 दिसम्बर 2025 से एक भागीदार (1) श्री विजय चौहान पिता श्री बलवंतसिंह चौहान, निवासी– 293, संतोषी माता वार्ड, वार्ड नं. 25 पांढुर्णा तह. पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे है. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 04 दिसम्बर 2025 सें संशोधन उपरांत दो साझेदार रहेंगें. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस वार्ड नं. 10, शास्त्री वार्ड पांढुर्णा तह, पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है.

M/S. MAHAKAAL TRADERS,

(निरेंन्द्र चौहान)
(पार्टनर).

(G-7662)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म में राधव ट्रेडर्स (M/S RAGHAV TRADERS) के नाम से एक भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्र. 04–53–01–0304–25 दिनांक 14 फरवरी 2025 है.

इस फर्म से दिनांक 03 दिसम्बर 2025 से दो भागीदार (1) श्री विनय चौहान पिता श्री धनश्याम चौहान, निवासी– अंबाडा पांढुर्ना तहसील एवं जिला पाढुर्ना (म.प्र.), (2) श्री विजय चौहान पिता श्री बलवंत सिंह चौहान, निवासी संतोषी माता वार्ड पांढुर्ना तहसील एवं जिला पांढुर्ना (म.प्र.) निकल रहे है एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 03 दिसम्बर 2025 से एक भागीदार (1) श्री निरेंद्र चौहान पिता श्री धनश्याम चौहान, निवासी– अंबाडा पार्ढुना तहसील एवं जिला पाढुर्ना (म.प्र.) शामिल हो रहे है. अतः उक्त भागीदारी फर्ग में दिनांक 03 दिसम्बर 2025 से संशोधन उपरांत दो साझेदार रहेंगें.

M/S RAGHAV TRADERS,

माधवी चौहान
(पार्टनर).

(G-7663)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म में वैष्णवी ट्रेडर्स (M/S VAISHNAVI TRADERS) के नाम से एक भागीदारी फर्म है. जिसका पंजीयन क्र. 04–17–06–0028–20, दिनांक 17 जून 2020 है.

इस फर्म से दिनांक 04 दिसम्बर 2025 से दो भागीदार (1) श्री विनय चौहान पिता श्री धनश्याम चौहान, निवासी अंबाडा अंबाडामाल पार्दुना तह, एवं जिला पांढुर्ना (म.प्र.), (2) श्री विजय चौहान पिता श्री बलवंत सिंह चौहान, निवासी– 293 संतोषी माता वार्ड पांढुर्ना तह. एवं जिला पांढुर्ना (म.प्र.) निकल रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 05 दिसम्बर 2025 से दो भागीदार (1) श्री निरेंद्र चौहान पिता श्री धनश्याम चौहान, निवासी– अंबाडा अंबाडामाल पांढुर्ना तह. एवं जिला पार्दुना (म.प्र) (2) श्री राहुल अनेवार पिता श्री मधुकर अनवर, निवासी– परधी रोड सुभाष वार्ड पांढुर्ना तह. एवं जिला पांढुर्ना (म.प्र.) शामिल हो रहे हैं. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 05 दिसम्बर 2025 से संशोधन उपरांत तीन साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का राजिस्टर्ड ऑफिस वार्ड नं. 10, शास्त्री वार्ड पांढुर्ना तह. पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है.

M/S VAISHNAVI TRADERS,

(माधवी चौहान)
(पार्टनर).

(G-7664)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम अजय राजपूत होना चाहिए जो कि त्रुटिवश अनुराग अंकित हो गया है. अर्थात मैं, अपने पुत्र का नाम अजय राजपूत कराना चाहता हूं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को अजय राजपूत के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे

आवेदक

(बालाराम)
आत्मज– श्री हरनाम सिंह
निवासी– दौरला, ग्राम दौरला, तहसील लटेरी,
औखली खेड़ा, जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-7665)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश छत्तर सिंह अंकित हो गया है अर्थात मैं अपना नाम छत्रपाल राठौर कराना चाहता हूं. अतः प्रकाशन उपरान्त से मुझे मेरे सही नाम छत्रपाल राठौर के नाम से ही जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(छत्रपाल राठौर)
पिता– श्री प्रेमनारायण राठौर
निवासी– ग्राम मरहेठी, पोस्ट प्रतापगढ,
तहसील सिलवानी, जिला रायसेन (म.प्र.).

(G-7666)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश हशेन्द्र जाटव अंकित हो गया है. परन्तु मैं, अपने पुत्र का नाम प्रहलाद जाटव कराना चाहता हूं. अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रहलाद जाटव के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मजबूत सिंह)
आ.– श्री नाथूराम
निवासी– ग्राम बघरबारा, पोस्ट पीपलखेड़ा म्यापुर,
जिला शिवपुरी (म.प्र.).

(G-7667)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश केवल सिंह अंकित हो गया है जबकि मेरे पुत्र का सही नाम कैलाश रैकवार (KAILASH RAIKWAR) है. परन्तु मैं, अपने पुत्र का नाम कैलाश रैकवार कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरे पुत्र को उसके सही नाम कैलाश रैकवार के नाम से ही जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रामकृष्ण)
पिता– श्री कालूराम
निवासी– ग्राम पोस्ट इंदरवास, तहसील ग्यारशपुर,
जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-7668)

उपनाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम मिलिन्द्र सिंह दांगी (Milindra Singh Dangi) पिता योगेन्द्र दांगी (Yogendra Dangi) और माता बबीता दांगी (Babita Dangi) था तथा मुझे अपने पिताजी एवं माता का उपनाम परिवर्तन मिलिन्द्र सिंह दांगी (Milindra Singh Dangi) पिता योगेन्द्र सिंह ठाकुर (Yogendra Singh Thakur) माता बबीता ठाकुर (Babita Thakur) करना है. मेरी 10वीं की मार्कशीट एवं समस्त अंकसूची व दस्तावेज में मेरे पिता एवं मेरी माता का उपनाम ठाकुर दर्ज करना है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में जाना–पहचाना एवं शासकीय/ अशासकीय कार्य में अंकित करवाया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(योगेन्द्र दांगी)	**(योगेन्द्र सिंह ठाकुर)**
(Yogendra Dangi)	**(Yogendra Singh Thakur)**
(बबीता दांगी)	**(बबीता ठाकुर)**
(Babita Dangi)	**(Babita Thakur)**

(G-7669)

नाम परिवर्तन

मैं, द्रोपदी बाई पति चन्द्र प्रकाश कोरी, निवासी– 2528, सिद्ध बाबा रोड, हनुमान मंदिर के पीछे, सिद्धबाबा, लालमाटी जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.). द्रोपदी बाई (DROPADI BAI) जो कि मेरे पी.पी.ओ. एवं मूल निवासी में दर्ज है जो कि सही है. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम द्रपोपती (DROPATI) दर्ज है तथा द्रोपदी बाई (DROPADI BAI) एवं द्रपोपती (DROPATI) दोनों नाम मेरे हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे द्रोपदी बाई (DROPADI BAI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(द्रोपदी बाई)

पिता– चन्द्र प्रकाश कोरी,

(G-7670)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम नव्यांक गोस्वामी पिता लोकेश गोस्वामी (NAVYANK GOSWAMI S/o. LOKESH GOSWAMI), निवासी– ग्राम मकान नं.–10, वार्ड न.–12, ग्राम कोलगांव, पोस्ट शिवपुरी, सिओनी मालवा होशंगाबाद (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम वंश गिरी पिता लोकेश गोस्वामी (VANSH GIRI S/o. LOKESH GOSWAMI) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेज की अंकसूची जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है.

अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम नव्यांक गोस्वामी पिता लोकेश गोस्वामी (NAVYANK GOSWAMI S/o. LOKESH GOSWAMI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(लोकेश गोस्वामी)

पिता– जवारी लाल.

(G-7671)

नाम परिवर्तन

मैं, मेवाराम पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी– ग्राम रीछई, विदिशा, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश मेवालाल (Mevalal S/o. Amar Singh) दर्ज हो गया हैं जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेवाराम (Mevaram) पुत्र अमर सिंह (Amar Singh) है, जो कि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र, वोटर आई.डी. कार्ड, मूल निवासी प्रमाण–पत्र व समग्र आई.डी. में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेवाराम (Mevaram) पुत्र अमर सिंह (Amar Singh) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावें.

पुराना नाम

(मेवालाल)

(MEVALAL)

नया नाम

(मेवाराम)

(MEVARAM)

पुत्र– अमर सिंह

S/o. Amar Singh.

(G-7672)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम श्री छोटेराम पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी– मकान क्र.–37, चाँदबड़, तहसील सीहोर, जिला–सीहोर (म.प्र.) मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम महेश पुत्र अमर सिंह (MAHESH S/o. AMAR SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम छोटेराम पुत्र श्री अमर सिंह (CHHOTERAM S/o. AMAR SINGH) है, जो कि मेरे पहचान–पत्र में भी

दर्ज है. उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति मेरे ही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम छोटेराम पुत्र श्री अमर सिंह (CHHOTERAM S/o. AMAR SINGH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(महेश)	**(छोटेराम)**
(MAHESH)	**(CHHOTERAM)**
	पुत्र– अमर सिंह
	S/o. AMAR SINGH

(G-7673)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम विवेकानंद (VIVEKANAND) पिता जितेन्द्र कुमार (JITENDRA KUMAR) था, जिसे निजी कारणों से बदलकर विवेक कुमार (VIVEK KUMAR) पिता जितेन्द्र कुमार (JITENDRA KUMAR) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम विवेक कुमार (VIVEK KUMAR) पिता जितेन्द्र कुमार (JITENDRA KUMAR) के नाम से ही जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(विवेकानंद)	**(विवेक कुमार)**
(VIVEKANAND)	**(VIVEK KUMAR)**
	पिता– जितेन्द्र कुमार
(G-7674)	पता– 355, दुर्गेश विहार, जे.के. रोड, भोपाल (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

1, Shailendra Agiwal, son of Shri Heeralal Agiwal, resident of 86, Bank Colony, Annapurna Road, Indore (M.P.), hereby solemnly declare that my daughter's name is Kritika Agiwal, her father's name is Shailendra Agiwal and her mother's name is Priyanka Agiwal. In my daughter's academic records, my name is mentioned as Shelender Agiwal, which is incorrect. My correct name is Shailendra Agiwal, which is true and accurate and is recorded in all my documents.

Applicant

(Shailendra Agiwal)

(G-7675)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स आरुषि डेवलपर्स जिसका पंजीयन क्रमांक 03–27–01–0507–25 एवं पंजीयन दिनांक 17–03–2025 तथा पता– 746 ग्राउन्ड फ्लोर स्कीम नं. 114, पार्ट 2 विजय नगर, जिला इंदौर है, जिसमें प्रथम विलेख दिनांक 20–06–2024 के विलेख अनुसार फर्म में 2 भागीदार, 1) श्री विवेक मित्तल पिता श्री ज्योति प्रकाश मित्तल, 2) श्रीमती मेघा मित्तल पति महेंद्र मित्तल थे. दिनांक 10–01–2025 को फर्म से 1 भागीदार श्रीमती मेघा मित्तल पति महेंद्र मित्तल सेवानिवृत्त हो गए तथा इसी दिन फर्म में दो नए भागीदार 1) श्री नरेंद्र कुमार बंसल पिता श्री सत्यनारायण बंसल एवं (2) श्री अनुराग सिंह पिता अंजनी कुमार सिंह, शामिल हो गए. अतः वर्तमान में फर्म में कुल 3 भागीदार है, जो इस प्रकार हैं :– (1) श्री विवेक मित्तल पिता श्री ज्योति प्रकाश मित्तल, (2) श्री नरेंद्र कुमार बंसल पिता श्री रात्यनारायण बंसल, (3) श्री अनुराग रिंह पिता श्री अंजनी कुगार रिंह है.

फर्म मेसर्स आरुषि डेवलपर्स

विवेक मित्तल

(भागीदार).

(G-7676)

नाम परिवर्तन

मैं, महादेव यादव पुत्र हीरालाल यादव, निवासी– ग्राम पैली, पंचायत बरदढार पोस्ट चौरी, तहसील पाली, जिला उमरिया, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश गुरूप्रसाद यादव (GURUPRASAD YADAV) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजों पर महादेव यादव (MAHADEV YADAV) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय समस्त दस्तावेजों में सही नाम महादेव यादव (MAHADEV YADAV) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गुरूप्रसाद यादव)	(महादेव यादव)
(GURUPRASAD YADAV)	**(MAHADEV YADAV)**

(G-7677)

नाम परिवर्तन

मैं, समलबती सरयाम पत्नी रमेश सरयाम, निवासी– ग्राम मानकादेई, पोस्ट लहगडुआ, तहसील तामिया, जिला छिन्दवाड़ा, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश सकलवती सरयाम नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं वोटर कार्ड पर समलबती सरयाम नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय समस्त दस्तावेजों में सही नाम समलबती सरयाम के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सकलवती सरयाम)	(समलबती सरयाम)

(G-7678)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम जमना रैकवार पुत्री श्री महेश, निवासी– बिश्धा, पिपराहा, विदिशा (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में नाम त्रुटिवश सीता (SEETA) अंकित दर्ज हो गया है जो कि गलत है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची में मेरी पुत्री का सही नाम जमना रैकवार (Jamna Raikwar) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को जमना रैकवार (Jamna Raikwar) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सीता)	(जमना रैकवार)
(SEETA)	**(JAMNA RAIKWAR)**

(G-7679)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम मणिकर्णिका पाराशर पुत्री श्री केशव कुमार पाराशर, निवासी– ग्राम पाटन, पोस्ट पाटन, थाना आदेगांव, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी (म.प्र.). आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम राशी मणिकनिका (Rashi Manikanika) अंकित दर्ज हो गया है जो कि गलत है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची में मेरी पुत्री का सही नाम मणिकर्णिका पाराशर (Manikarnika Parashar) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को मेरे सही नाम मणिकर्णिका पाराशर (Manikarnika Parashar) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राशी मणिकनिका)	(मणिकर्णिका पाराशर)
(Rashi Manikanika)	**(Manikarnika Parashar)**

(G-7680)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम दीपिका यादव पुत्री रामू यादव (DIPIKA YADAV D/o. RAMU YADAV), निवासी– ग्राम चैनपुरा मनकारी, छतरपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम लक्ष्मी यादव पुत्री रामू यादव (LAXMI YADAV D/o. RAMU YADAV) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम दीपिका यादव पुत्री रामू यादव (DIPIKA YADAV D/o. RAMU YADAV) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रामू यादव)

पुत्र– गौरीशंकर यादव.

(G-7681)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम माही जैन पिता सुनील कुमार जैन (MAHI JAIN D/o. SUNIL KUMAR JAIN), निवासी– वार्ड न. 11, कटरा मोहल्ला, अशोकनगर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम मानवी जैन पिता सुनील कुमार जैन (MANVI JAIN D/o. SUNIL KUMAR JAIN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेज व समग्र आई. डी में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम माही जैन पिता सुनील कुमार जैन (MAHI JAIN D/o. SUNIL KUMAR JAIN) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(मानवी जैन)

(MANVI JAIN)

नया नाम

(माही जैन)

(MAHI JAIN)

पिता– सुनील कुमार जैन,

D/o. SUNIL KUMAR JAIN.

(G-7682)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम आकांक्षा पटेल पुत्री अंतराम पटेल (AAKANKSHA PATEL D/o ANTARAM PATEL), निवासी– वार्ड नं. 8, छेदी मोहल्ला, रामपुर मार्ग का पास सनखेड़ा होशंगाबाद (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अक्षरा पटेल पुत्री अंतराम पटेल (AKSHRA PATEL D/O ANTARAM PATEL) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम आकांक्षा पटेल पुत्री अंतराम पटेल (AAKANKSHA PATEL D/o. ANTARAM PATEL) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अंतराम पटेल).

(G-7683)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम हिमांशु राजोरिया पुत्र देवेन्द्र कुमार राजोरिया (HIMANSHU RAJORIYA S/o. DEVENDRA KUMAR RAJORIYA), निवासी– 101 बछबाड़ा, आदिवासी मोहोला, वार्ड नं. 8, बछबाड़ा, होशंगाबाद (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम हेमांशु राजोरिया पुत्र देवेन्द्र राजोरिया (HEHEMANSHU RAJORIYA S/o. DEVENDRA RAJORIYA) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है.

अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम हिमांशु राजोरिया पुत्र देवेन्द्र कुमार राजोरिया (HIMANSHU RAJORIYA S/o. DEVENDRA KUMAR RAJORIYA) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(देवेन्द्र कुमार राजोरिया).

(G-7684)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम रणवीर सिंह राजपूत पुत्र भगवान सिंह राजपूत (RANVEER SINGH RAJPUT S/o. BHAGWAN SINGH RAJPUT), निवासी मकान नं. 19/1 वार्ड नंबर 15, तहसील सिराली, गोंडा खुंद, हरदा (म.प्र.) परंतु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम प्रिंस पुत्र भगवान सिंह (PRINS S/o. BHAGWAN SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम रणवीर सिंह राजपूत पुत्र भगवान सिंह राजपूत (RANVEER SINGH RAJPUT S/o. BHAGWAN SINGH RAJPUT), के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-7685) (भगवान सिंह राजपूत).

नाम परिवर्तन

मैं, ज्योति पाण्डे पति श्री उमाशंकर पाण्डे, निवासी–555/ख, पुष्पकुंज कालोनी, पोस्ट– हाऊबाग, रानीताल, जबलपुर (म.प्र.). मेरा नाम ज्योति पाण्डे पति श्री उमाशंकर पाण्डे मेरे पति के पी.पी.ओ. एवं मेरे वोटर आई.डी.कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में ज्योति पाण्डे लिखा है, किन्तु त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम मंजू पाण्डे लिख गया है, जो कि गलत है, इसके स्थान पति मेरे आधार कार्ड एवं अन्य अर्धशासकीय, शासकीय समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम ज्योति पाण्डे पति श्री उमाशंकर पाण्डे लिखा, पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मंजू पाण्डे)	**(ज्योति पाण्डे)**
(MANJU PANDEY)	**(JYOTI PANDEY)**
	पति– उमाशंकर पाण्डे
(G-7686)	(UMASHANKAR PANDEY).

नाम परिवर्तन

मैं, बिल्लू सिंह पिता श्री त्रिलोक सिंह, निवासी– 1826 (पुराना 1142/F), गुलाटी पेट्रोल पम्प के सामने, मदन महल, जबलपुर (म.प्र.) मेरे पत्नी एवं बच्चों के रिकार्ड में साथ ही मेरे राजस्व अभिलेखों में मेरा नाम बिल्लू सिंह कहीं पर गुरदीप सिंह लिखा है, जो कि दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं. दोनों नामों से जाना पहचाना जाता है. भविष्य में मुझे बिल्लू सिंह पिता त्रिलोक सिंह के नाम मेरे पत्नी, बच्चों एवं मेरे समस्त सम्पत्ति के अर्धशासकीय, शासकीय समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम बिल्लू सिंह लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गुरदीप सिंह उर्फ बिल्लू सिंह)	**(बिल्लू सिंह)**
(GURDEEP SINGH @ BILLU SINGH)	**(BILLU SINGH)**
	पिता– त्रिलोक सिंह
(G-7687)	(TRILOK SINGH).

नाम परिवर्तन

मैं, शरद कुमार चौधरी आत्मज श्री अन्नीलाल चौधरी, निवासी– कामर्थ वार्ड कुम्हारी मोहल्ला, कन्देली नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री का वास्तविक नाम प्रिंसी चौधरी (PRINCI CHOUDHARY) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम प्रिया प्रिन्सी चौधरी (PRIYA PRINCI CHOUDHARY) अंकित हो गया है, अब मेरी पुत्री का वास्तविक नाम प्रिंसी चौधरी (PRINCI CHOUDHARY) के नाम से जाना पहचाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजो में मेरी पुत्री का यही नाम मान्य रहेगा.

आवेदक

(G-7688) **(शरद कुमार चौधरी).**

नाम परिवर्तन

मैं, दौलू सुरे पिता बाबूलाल सुरे, निवासी– संजय कालोनी, विकास वार्ड, जिला बैतूल (म.प्र.) मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश श्रस्टी सुरे (SHRASTHI SURE) पिता दौलू सुरे (Daulu Sure) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम सृष्टि सुरे (SURSHTI SURE) पिता दौलू सुरे (DAULU SURE) है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज होने से प्रमाणित है जिसे मैं अपनी पुत्री के आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. सृष्टि सुरे (SURSHTI SURE) पिता दौलू सुरे (DAULU SURE) व श्रस्टी सुरे (SHRASTHI SURE) पिता दौलू सुरे (Daulu Sure) दोनों एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरी पुत्री ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को सृष्टि सुरे (SURSHTI SURE) पिता दौलू सुरे (DAULU SURE) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक
(दौलू सुरे)
पिता– बाबूलाल सुरे.

(G-7689)

नाम परिवर्तन

मैं, मुकेश पिता खुमान सिंह, निवासी– ग्राम रिछैरा, गुर्जर बनवारी, पोस्ट मऊछ, मुछ, जिला ग्वालियर (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम राखी (RAKHI) पिता मुकेश गुर्जर (MUKESH GURJAR) हैं, परंतु मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश अनुष्का द्वारा मुकेश (Anushaka C/o. Mukesh) दर्ज हो गया हैं, जो कि गलत हैं. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित हैं जिसे मैं अपनी पुत्री के आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. राखी (RAKHI) पिता मुकेश गुर्जर (MUKESH GURJAR) व अनुष्का द्वारा मुकेश (Anushaka C/o. Mukesh) दोनों एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरी पुत्री ही हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को राखी (RAKHI) पिता मुकेश गुर्जर (MUKESH GURJAR) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अनुष्का द्वारा मुकेश)
(Anushaka C/o. Mukesh)

नया नाम
(राखी)
(RAKHI)
पिता– मुकेश गुर्जर,
(MUKESH GURJAR).

(G-7690)

नाम परिवर्तन

मैं, दिव्या कराडे पति भेरू कराडे, निवासी– 20 ए, राज नगर, एक्सटेन्शन, जिला इंदौर (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश दिव्या राणे पिता दिनेश राणे दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, मेरे वोटर आई.डी. कार्ड एवं मेरे पूर्व के आधार कार्ड में मेरा सही नाम दिव्या कराडे (DIVYA KARADE) पति भेरू कराडे (BHERU KARADE) दर्ज होने से प्रमाणित हैं जिसे मैं अपने आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहती हूँ. दिव्या कराडे पति भेरू कराडे व दिव्या राणे पिता दिनेश राणे दोनों एक ही व्यक्ति मैं स्वयं ही हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे दिव्या कराडे (DIVYA KARADE) पति भेरू कराडे (BHERU KARADE) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(दिव्या राणे)
पिता– दिनेश राणे

नया नाम
(दिव्या कराडे)
(DIVYA KARADE)
पति– भेरू कराडे
(BHERU KARADE).

(G-7691)

नाम परिवर्तन

मैं, छोटेलाल केवट पिता सेवकराम केवट, निवासी– ग्राम रिमझा वम्होरी वर्धा, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश देवेन्द्र केवट (Devendra Kevat) पिता छोटेलाल केवट (Chhotelal Kevat) दर्ज हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम शेर सिंह (SHER SINGH) पिता छोटेलाल केवट (Chhotelal Kevat) है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र व कक्षा 10वीं की अंकसूची में उसका सही नाम दर्ज है. शेर सिंह (SHER SINGH) पिता छोटेलाल केवट (Chhotelal Kevat) व देवेन्द्र केवट (Devendra Kevat) पिता छोटेलाल केवट (Chhotelal Kevat) दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को शेर सिंह (SHER SINGH) पिता छोटेलाल केवट (Chhotelal Kevat) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावें.

आवेदक

(छोटेलाल केवट)
पिता सेवकराम केवट.

(G-7692)

नाम परिवर्तन

मैं, चैनसिंह गूजर आत्मज श्री रामरतन सिंह, निवासी– ग्राम सासबहू, मं.नं. 44, तहसील सांईखेडा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम राधिका गूजर है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम अंशिका अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को सही नाम राधिका गजूर के नाम से जानी–पहचानी जायेगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(चैनसिंह गूजर)
आत्मज श्री रामरतन सिंह.

(G-7693)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीधर मिश्रा आत्मज जगदीश प्रसाद मिश्रा, निवासी– म.नं. 1221, नई बस्ती कॉलोनी, भैसाखेंडी, बैरागढ़, हुजूर, बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिचय पत्र, ड्रायविंग लाइसेंस में मेरा नाम श्रीधर मिश्रा दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे भविष्य में मेरे सही नाम संत हरीशरण, स्वामी सीता शरण जी महाराज के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम

(श्रीधर मिश्रा)
पिता– जगदीश प्रसाद मिश्रा

नया नाम

(संत हरीशरण)
गुरू जी– स्वामी सीता शरण जी महाराज

(G-7694)

नाम परिवर्तन

मैं, अमर जैन उर्फ निलेश पुत्र श्री नेमीचंद जैन, निवासी– 84/3, वार्ड नं. 02, शम्भूनाथ शुक्ला वार्ड, धनपुरी, जिला शहडोल (म.प्र.). मेरा पुराना नाम अमर जैन उर्फ निलेश (AMAR JAIN URF NILESH) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम भविष्य में सभी दस्तावेजों में नीलेश जैन (NEELESH JAIN) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(अमर जैन उर्फ निलेश)
पुत्र– श्री नेमीचंद जैन.

(G-7695)

नाम परिवर्तन

मैं, अंजली कटारिया पति स्व. श्री अनिल कुमार वर्मा, निवासी– आई–7, पीडब्ल्यूडी क्वार्टर्स, पत्रकार चौराहा, इंदौर (म.प्र.). अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे पुराने नाम अंजली कटारिया के स्थान पर अंजली वर्मा के नए नाम से जाना पहचाना जावे.

प्रार्थिनी

(अंजली वर्मा)

पति स्व. श्री अनिल कुमार वर्मा.

(G-7696)

नाम परिवर्तन

मैं, इन्दर सिंह मीना, निवासी– भूराखेड़ी, बमौरी, जिला गुना (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश प्रियंका मीना (PRIYANKA MEENA) हो गया है जबकि मेरी पुत्री का सही नाम संजना मीना (SANJNA MEENA) अंकित है. मेरी पुत्री के समस्त दस्तावेजों में उसका नाम संजना मीना (SANJNA MEENA) अंकित हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री संजना मीना (SANJNA MEENA) के नाम से जाना व पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(इन्दर सिंह मीना).

(G-7697)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश आधार कार्ड में शिवानी उईके अंकित हो गया है जिसे बदलकर नया नाम शिवम उईके (SHIVAM UIKEY) किया जाना है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को नये नाम शिवम उईके (SHIVAM UIKEY) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(विकास उईके)

आत्मज श्री टन्नू लाल

निवासी– तीर भाटा, म.नं.1, वार्ड नं.1,

खेरवानी रीत, सारनी, बैतूल (म.प्र.).

(G-7698)

नाम परिवर्तन

मैं, नीरज भूषण मक्कर पिता श्री भारत भूषण, निवासी– ई–3/156, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम नीरज भूषण पिता भारत भूषण तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं पासपोर्ट इत्यादि दस्तावेजों में नीरज भूषण मक्कर पिता श्री भारत भूषण मक्कर है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे नीरज भूषण मक्कर (Neeraj Bhushan Macker) पिता श्री भारत भूषण मक्कर के नाम से जाना व पहचाना जावे एवं भविष्य में सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(नीरज भूषण)

नया नाम

(नीरज भूषण मक्कर)

(Neeraj Bhushan Macker).

(G-7699)

नाम परिवर्तन

मैं, माही ठाकुर, निवासी– कोली मोहल्ला नंबर–2, बुधवारा हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरा सही नाम माही ठाकुर है. मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश नीरज चौधरी (NEERAJ CHOUDHARY) पिता मुन्ना लाल चौधरी (MUNNA LAL CHOUDHARY) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. माही ठाकुर पिता बबली नायक व नीरज चौधरी पिता मुन्ना लाल चौधरी (MUNNA LAL CHOUDHARY) दोनों की ही व्यक्ति हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे माही ठाकुर पिता बबली नायक के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावें.

पुराना नाम

(नीरज चौधरी)
पिता– मुन्ना लाल चौधरी

नया नाम

(माही ठाकुर)
पिता– बबली नायक.

(G-7700)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम आकाश सिंह पुत्र महेंद्र सिंह (AKASH SINGH S/o. MAHENDRA SINGH), निवासी– ग्राम अहिरौली, पोस्ट मछंदा अहिरौली, जिला भिंड, मिहोना (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अभिषेक पुत्र महेंद्र सिंह (ABHISHEK S/o. MAHENDRA SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम आकाश सिंह पुत्र महेंद्र सिंह (AKASH SINGH S/o. MAHENDRA SINGH) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-7701) **(महेंद्र सिंह).**

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम रोशनी देवी पिता श्री जागेश्वर कोरी (ROSHNI DEVI D/o. JAGESHWAR KORI), निवासी– ग्राम 535, पंचमपुर, नयांगांव, पन्ना (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सीमा पिता श्री जागेश्वर कोरी (SEEMA D/o. JAGESHWAR KORI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों व जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम रोशनी देवी पिता श्री जागेश्वर कोरी (ROSHNI DEVI D/o. JAGESHWAR KORI) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जागेश्वर कोरी)
आत्मज– श्री बंदी प्रसाद कोरी.

(G-7702)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के समस्त शासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम राजीव रैकवार पिता श्री नेतराम रैकवार है. जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र का नाम राजीव केवट पिता श्री नेतराम केवट है, जो कि सही है. जो उसके शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को राजीव केवट पिता श्री नेतराम केवट के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावें.

आवेदक

(नेतराम केवट)

(G-7703)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी(रा.), जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 नवम्बर 2025

प्रारुप – चार

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) के द्वारा]

मौजा–मुजावरमाल, रा.नि.मं.लावाघोघरी,
तहसील मोहखेड़, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).
तारीख पेशी 16 दिसम्बर 2025

रा.प्र.क्र.–1–बी–113/(1)–2025–26.– चूंकि श्री शिव शक्ति न्यास मुजावरमाल की ओर से अध्यक्ष विष्णु प्रसाद, उम्र करीब 66 वर्ष, निवासी– वार्ड नंबर–19, ग्राम मुजावरमाल मोहखेड़, तहसील मोहखेड, जिला छिन्दवाड़ा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन निम्न अनुसूची में दर्शित चल–अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन–पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन–पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अंदर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

क्र. (1)	नाम वस्तु (2)	विवरण (3)	वजन तथा नग (4)
1.	चल सम्पत्ति	बैंक खाते में जमा राशि	निरंक
2.	अचल सम्पत्ति	5,00,00,000/–(पांच करोड़ रुपये)	–

(G-7704)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 नवम्बर 2025

प्रारुप – पांच

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) के द्वारा]

मौजा–मुजावरमाल, रा.नि.मं.लावाघोघरी,
तहसील मोहखेड़, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).
तारीख पेशी 16 दिसम्बर 2025

रा.प्र.क्र.–1–बी–1134(1)–2025–26.– चूंकि श्री शिव शक्ति न्यास मुजावरमाल की ओर से अध्यक्ष विष्णु प्रसाद, उम्र करीब 66 वर्ष, निवासी– वार्ड नंबर–19, ग्राम मुजावरमाल मोहखेड़, तहसील मोहखेड, जिला छिन्दवाड़ा द्वारा मध्यप्रदेश लोक

न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन एक आवेदन–पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन किया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को विचार के लिए लिया जावेगा.

अतः, मैं, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ लोक न्यास अधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा के लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा–अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्याय या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि को समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

श्री शिव शक्ति न्यास मुजावरमाल, मोहखेड़ अचल सम्पत्ति निरंक.

सुधीर कुमार जैन, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-7705)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील कोलार, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1)के अंतर्गत]

प्र.क्र.–.2404–बी–113–2025–26.– जैसा कि ''आवेदक अमन द्विवेदी पुत्र श्री एस. पी. द्विवेदी, निवासी– मकान नम्बर 92, ए.एक्स, राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल द्वारा ''श्री खेडापति शिव हनुमान मंदिर न्यास'' सी–135–136 राजहर्ष कॉलोनी, उध्यांचल नगर, तहसील कोलार, भोपाल के पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 26 दिसम्बर 2025 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के ''एक माह'' के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता	–	''श्री खेडापति शिव हनुमान मंदिर न्यास'' सी–135–136 राजहर्ष कॉलोनी, उध्यांचल नगर, तहसील कोलार, भोपाल
2. चल सम्पत्ति	–	3000/–राशि
3. अचल सम्पत्ति	–	निरंक

आज दिनांक 24 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

प्रकाशचंद्र पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(G-7706)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, चाचौड़ा, जिला गुना, मध्यप्रदेश

चाचौड़ा, दिनांक 9 दिसम्बर 2025

प्रारुप क्र. – 4

[देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1662 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक उपखण्ड चाचौड़ा, जिला गुना के समक्ष

प्र.क्र.–0002–बी–113(1)/25–26.– एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संत श्री अभिराम दास जी त्यागी, निवासी श्री रामटेकरी धाम, ग्राम देदला, तहसील चाचौड़ा, जिला गुना द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंर्तगत लोक न्यास के रूप में मंदिर श्री हनुमान जी मंशापूर्ण राम टेकरी तपोवन ग्राम देदला, तहसील चाचौड़ा, जिला गुना, मध्यप्रदेश को पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है. जो प्रकरण क्रमांक 0002/बी–113(1)/2025–26 पर दर्ज होकर इस न्यायालय में प्रचलनशील है.

अतः उक्त प्रकरण के संबंध में जिस किसी को भी कोई आपत्ति हो तो वह अपना पक्ष प्रकरण में नियत दिनांक 22 जनवरी 2026 को या इसके पूर्व न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार न करते हुए प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी:–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम	–	मंदिर श्री हनुमान जी मंशापूर्ण राम टेकरी तपोवन
2. लोक न्यास का पता	–	ग्राम देदला, तहसील चाचौड़ा, जिला गुना (म.प्र.).
3. चल सम्पत्ति	–	सूची अनुसार
4. अचल संपत्ति	–	सूची अनुसार

रवि मालवीय, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-7707)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1893.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2362, दिनांक 10 दिसम्बर 2018 से बसुन्धरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–546, दिनांक 11 जुलाई 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 21 नवम्बर 2025 से बसुन्धरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G7708)

ग्वालियर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1895.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–722, दिनांक 25 मार्च 2017 से आस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अजयपुर ग्वालियर, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–973, दिनांक 31 मार्च 2006 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 21 नवम्बर 2025 से आस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या. , अजयपुर ग्वालियर तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन क संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप

से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण हैं.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-7709)

ग्वालियर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1896.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–9019, दिनांक 07 जून 2019 से जय बजरंग साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–520, दिनांक 12 फरवरी 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 21 नवम्बर 2025 से जय बजरंग साख गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. , ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-7710)

ग्वालियर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1897.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1905, दिनांक 02 मई 2020 से गोकुल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–391, दिनांक 15 अप्रैल 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री ओम सिकरया, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री ओम सिकरया जादौन, उप अंकेक्षक द्वारा दिनांक 21 नवम्बर 2025 से गोकुल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री ओम सिकरया, उप अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गयो.

(G-7711)

ग्वालियर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1898.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1922, दिनांक 07 सितम्बर 2020 से अचलेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–341, दिनांक 10 अप्रैल 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री ओम सिकरया, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री ओम सिकरया जादौन, उप अंकेक्षक द्वारा दिनांक 21 नवम्बर 2025 से अचलेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री ओम सिकरया, उप अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-7712)

ग्वालियर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1899.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1739, दिनांक 18 सितम्बर 2019 से जीवाजी नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–41, दिनांक 16 अक्टूबर 1966 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री ओम सिकरया, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री ओम सिकरया जादौन, उप अंकेक्षक द्वारा दिनांक 21 नवम्बर 2025 से जीवाजी नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री ओम सिकरया, उप अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-7713)

ग्वालियर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1900.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1727, दिनांक 18 सितम्बर 2019 से वीरेन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–347,

दिनांक 21 अगस्त 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री ओम सिकरया, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री ओम सिकरया जादौन, उप अंकेक्षक द्वारा दिनांक 21 नवम्बर 2025 से वीरेन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री ओम सिकरया, उप अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-7714)

ग्वालियर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1901.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि–698, दिनांक 25 मार्च 2017 से जय भैरवनाथ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–375, दिनांक 12 फरवरी 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री ओम सिकरया, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री ओम सिकरया जादौन, उप अंकेक्षक द्वारा दिनांक 21 नवम्बर 2025 से जय भैरवनाथ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री ओम सिकरया, उप अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-7715)

ग्वालियर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1902.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि–984, दिनांक 21 मार्च 2016 से महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सरनागत, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–967, दिनांक 10 अगस्त 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती दीपशिखा जादौन, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्रीमती दीपशिखा जादौन, उप अंकेक्षक द्वारा दिनांक 19 नवम्बर 2025 से महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सरनागत तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्रीमती दीपशिखा जादौन, उप अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-7716)

ग्वालियर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1903.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि–985, दिनांक 21 मार्च 2016 से मंशा देवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., घाटीगांव, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–979, दिनांक 20 अगस्त 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती दीपशिखा जादौन, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्रीमती दीपशिखा जादौन, उप अंकेक्षक द्वारा दिनांक 19 नवम्बर 2025 से मंशा देवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., घाटीगांव, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्रीमती दीपशिखा जादौन, उप अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-7717)

ग्वालियर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1905.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–855, दिनांक 30 मार्च 2001 से महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भितरवार, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–480, दिनांक 30 जुलाई 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. द्वारा दिनांक 21 नवम्बर 2025 से महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भितरवार, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-7718)

ग्वालियर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1907.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1673, दिनांक 17 जुलाई 2002 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बनवार तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–519, दिनांक 03 फ़रवरी 1990 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री संजय अग्रवाल, स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री संजय अग्रवाल, स.नि. द्वारा दिनांक 20 नवम्बर 2025 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डबका तहसील मुरार, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री संजय अग्रवाल, स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-7719)

ग्वालियर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1909.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1066, दिनांक 30 मार्च 2016 से महा माई दुर्गो महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., किटौरा तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–963, दिनांक 16 जुलाई 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती दीपशिखा जादौन, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्रीमती दीपशिखा जादौन, उप अंकेक्षक द्वारा दिनांक 19 नवम्बर 2025 से महा माई दुर्गो महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., किटौरा तहसील डबरा, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्रीमती दीपशिखा जादौन, उप अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-7720)

ग्वालियर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1910.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1069, दिनांक 30 मार्च 2016 से महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गढी, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–952, दिनांक 18 जून 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती दीपशिखा जादौन, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्रीमती दीपशिखा जादौन, उप अंकेक्षक द्वारा, दिनांक 19 नवम्बर 2025 से महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गढी, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्था, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58(1) के अंतर्गत परिसमापक श्रीमती दीपशिखा जादौन, उप अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-7721)

ग्वालियर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1911.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र–परि–1844, दिनांक 13 सितम्बर 2017 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धनेली, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–523, दिनांक 08 फरवरी 1990 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री संजय अग्रवाल, स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री संजय अग्रवाल, स.नि. द्वारा दिनांक 19 नवम्बर 2025 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धनेली, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री संजय अग्रवाल, स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-7722)

ग्वालियर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1912.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1844, दिनांक 13 सितम्बर 2017 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुलैत, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–524, दिनांक 08 फरवरी 1990 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री संजय अग्रवाल, स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री संजय अग्रवाल, स.नि. द्वारा दिनांक 19 नवम्बर 2025 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुलैत, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री संजय अग्रवाल, स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-7723)

ग्वालियर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1913.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1690, दिनांक 28 अगस्त 2008 से बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., आंतरी, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–492, दिनांक 12 फरवरी 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. द्वारा दिनांक 21 नवम्बर 2025 से बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., आंतरी, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-7724)

ग्वालियर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1916.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र–परि–1670, दिनांक 17 जुलाई 2002 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डबका, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–516, दिनांक 08 फरवरी 1990 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री संजय अग्रवाल, को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री संजय अग्रवाल, स.नि. द्वारा, दिनांक 20 नवम्बर 2025 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डबका, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री संजय अग्रवाल, स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-7725)

ग्वालियर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1914.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–02, दिनांक 02 जनवरी 1988 से तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बनवार, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–386, दिनांक 13 फरवरी 1976 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. द्वारा, दिनांक 21 नवम्बर 2025 से तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बनवार, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ, रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-7726)

ग्वालियर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1915.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1950, दिनांक 28 अप्रैल 1998 से नवोदय मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., हर्षी, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–767, दिनांक 13 अक्टूबर 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. द्वारा दिनांक 21 नवम्बर 2025 से नवोदय मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., हर्षी तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश

सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-7727) **नरेश कुमार सिन्हा,** उप रजिस्ट्रार.

कार्यालय, परिसमापक, आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, मोल्याखेडी, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

मन्दसौर, दिनांक 11 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाये नियम 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत]

परिसमापन वाली संस्थाऐं जिला मंदसौर

क्रमांक–परिसमापन–2025–01.–

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्र. व दिनांक	तहसील	जिला	आपत्ति प्रस्तुत करने का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मोल्याखेडी	111/20–10–1970	मंदसौर	मंदसौर	कार्यालय, उप आयुक्त, सहकारिता, मित्र वत्सला भवन, रामटेकरी कार्नर, जिला मंदसौर (प्रकाशन दिनांक के 2 माह के अंदर).

उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला मंदसौर के आदेश क्रमांक परिसमापन/2025/1037 दिनांक 10 जुलाई 2025 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे वर्तमान में परिसमापक नियुक्त किया गया हैं.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरूद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय–प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से कार्यालयीन समय पर मुझे प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से सर्मथित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जायेगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जायेगा.

यह सूचना पत्र आज दिनांक 11 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

अर्पित शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-7728)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाऐं, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 16 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–क्यू.– कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक (3)	पंजीयन दिनांक (4)	परिसमापन आदेश क्र. (5)	परिसमापन दिनांक (6)
1.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., उमरी.	2593	13–07–2018	357/330	29–02–2024
2.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. हल्दी.	2674	13–07–2018	357/331	29–02–2024
3.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या, डोई.	2594	13–07–2018	357/332	29–02–2024
4.	सिद्धि विनायक संकुल महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संघ मर्या., आली.	2806	16–08–2018	357/333	29–02–2024
5.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. अंजनखेडी	2595	13–07–2018	357/334	29–02–2024
6.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., जुगतलाई	2596	13–07–2018	357/335	29–02–2024
7.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., खेडली	2715	14–08–2018	357/336	29–02–2024
8.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. कुडर्दीपुरा	2598	13–07–2018	357/337	29–02–2024
9.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., तालनपुर	2716	14–08–2018	357/338	29–02–2024
10.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., आसपुर	2619	13–07–2018	357/339	29–02–2024
11.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., डोंगरगांव	2717	14–08–2018	357/340	29–02–2024
12.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. चिकापोटी	2026	30–05–2018	357/341	29–02–2024
13.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., मोगरा.	2622	13–07–2018	357/342	29.02.2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बिरलाई	2718	14–08–2018	357 / 343	29–02–2024
15.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बगडीतुर्क	2027	30–05–2018	357 / 344	29–02–2024
16.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., अजनखेडी	2496	10–07–2018	357 / 345	29–02–2024
17.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., चिकली	2623	13–07–2018	357 / 346	29–02–2024
18.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. तलावडी	2719	14–08–2018	357 / 347	29–02–2024
19.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या, डेहरी.	2497	10–07–2018	357 / 348	29–02–2024
20.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., आंवली	2652	13–07–2018	357 / 349	29–02–2024
21.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., कापसी	2720	14–08–2018	357 / 350	29–02–2024
22.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., लोहारा	2498	10–07–2018	357 / 351	29–02–2024
23.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., खण्डलोई.	2655	13–07–2018	357 / 352	29–02–2024
24.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या, भत्यारी.	2721	14–08–2018	357 / 353	29–02–2024
25.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., गिरवान्या	2499	10–07–2018	357 / 354	29–02–2024
26.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बाकी	2659	13–07–2018	357 / 355	29–02–2024
27.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. नैनगांव	2722	14–08–2018	357 / 356	29–02–2024
28.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., ढोल्या.	2500	10–07–2018	357 / 357	29–02–2024
29	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. रामपुरा	2660	13–07–2018	357 / 358	29–02–2024
30.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बडग्यार	2723	14–08–2018	357 / 359	29–02–2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. झड़वी	2501	10–07–2018	357 / 360	29–02–2024
32	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. खरगोन	2661	13–07–2018	357 / 361	29–02–2024
33.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. कुण्डारा	2724	14–08–2018	357 / 362	29–02–2024
34.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. टेंकी	2502	10–07–2018	357 / 363	29–02–2024
35.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. आली	2664	13–07–2018	357 / 364	29–02–2024
36.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. कवजियाखेडी.	2725	14–08–2018	357 / 365	29–02–2024
37.	भारतीय संकुल महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संघ मर्या., कुक्षी ।	2802	16–08–2018	357 / 366	29–02–2024
38.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या, कुतेड़ी	2663	13–07–2018	357 / 367	29–02–2024
39.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. अजन्यामल्हार	2666	13–07–2018	357 / 368	29–02–2024
40.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या, रायपुरिया	2592	13–07–2018	357 / 369	29–02–2024
41.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. झड़दा	2670	13–07–2018	357 / 370	29–02–2024
42.	भारतीय नारी संकुल महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संघ मर्या., कुक्षी ।।	2804	16–08–2018	357 / 371	29–02–2024

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1960 के उपनियम 57 (1) (सी / ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरूद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण / साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी / देनदारी / आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जायेंगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया हैं.

प्रताप सिंह कनेश, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(G-7729)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2025.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2025—पौष 5, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाऐं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.